BCCI BULLETIN

Vol. XXXXX | October - November, 2019 | No. 10

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति उद्यमी योजना के आवेदकों के निबंधन हेतु चैम्बर में विचार–विमर्श

कार्यक्रम को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी बाँयीं ओर स्टेट बैंक के डीजीएम श्री संजय श्रीवास्तव। दाँयीं ओर स्टेट बैंक के जोनल मैनेजर श्री विपिन कुमार, रेलवे एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर सब कमिटी के संयोजक श्री ए. के. पी. सिन्हा, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, सी.ए. आशीष अग्रवाल एवं अन्य।

प्रतिभागियों को आवश्यक जानकारी देते जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक श्री उमेश कुमार। साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

कार्यक्रम में उपस्थित चैम्बर, स्टेट बैंक के अधिकारीगण एवं मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिभागीगण।

बिहार चैम्बर के प्रांगण में दिनांक 11 नवम्बर 2019 को "मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति उद्यमी योजना" के प्रतिभागियों के साथ उनके निबंधन के संबंध में विचार-विमर्श हेतु बैठक हुई जिसमें भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उप-महाप्रबंधक श्री संजय श्रीवास्तव, क्षेत्रीय प्रबंधक श्री विपिन कुमार, जिला उद्योग केन्द्र, पटना के महाप्रबंधक श्री उमेश कुमार तथा वाणिज्य- कर विभाग के पदाधिकारियों सहित चैम्बर की तरफ से उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, संयोजक श्री ए. के. पी. सिन्हा एवं श्री सुबोध जैन तथा सी. ए. श्री आशीष अग्रवाल उपस्थित थे।

योजना के प्रतिभागियों को ऑन स्पॉट बैंक में चालू खाता खोलने एवं जी. एस. टी. निबंधन का प्रावधान किया गया।

कार्यक्रम में उपस्थित चैम्बर, स्टेट बैंक के अधिकारीगण एवं मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिभागीगण।

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

सितम्बर माह जल–जमाव की समस्या पटना वासियों के लिए काफी कष्टकर रहा। जल–जमाव वाले क्षेत्रों में लोगों को काफी क्षति का सामना करना पड़ा। इस भीषण त्रासदी में अनेकों व्यवसायी आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट चुके हैं लेकिन लोगों ने काफी संयम से काम लिया।

चैम्बर की तरफ से व्यवसायियों के सामानों एवं वाहनों का हुए नुकसान का आकलन कर बीमा कम्पनियों को समय सीमा के अन्दर मुआवजा की राशि का भुगतान करने हेतु श्रीमती निर्मला सीतारामण, माननीया केन्द्रीय वित्त मंत्री, सचिव, वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, श्री रविशंकर प्रसाद, माननीय केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय उप–मुख्यमंत्री, बिहार, श्री रामकृपाल यादव, माननीय सांसद एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री, भारत सरकार, श्री नीतिन नवीन, माननीय विधायक, श्री अरूण कुमार सिन्हा, माननीय विधायक, श्री संजीव कुमार चौरसिया, माननीय विधायक के अतिरिक्त युनाईटेड इन्श्योरेंश कम्पनी लि., चेन्नई, नेशनल इन्श्योरेंश कम्पनी लि., कोलकता, जेनरल इन्श्योरेंश कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मुम्बई, ओरियेन्टल इन्श्योरेंश कम्पनी लि., नई दिल्ली एवं न्यू इंडिया एश्योरेंश कम्पनी लि., मुम्बई के सर्वोच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त चैम्बर ने स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से भी नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु अनुरोध किया था जिसके फलस्वरूप तथा राज्य सरकार द्वारा भी इस पर दबाव बनाने के चलते संबंधित दावों के भुगतान के संबंध में 13 से 18 नवम्बर 2019 तक विभिन्न स्थानों पर बीमा कंपनियों द्वारा शिविर लगाया गया।

23 अक्टूबर 2019 को चैम्बर प्रांगण में प्रभात खबर एवं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सहयोग से पटना की बेहतरी के लिए एक संवाद कार्यक्रम **''पटना @ 2025 : विजन डाक्यूमेन्ट''** आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रभात खबर के उपाध्यक्ष श्री विजय बहादुर, सम्पादक श्री अजय कुमार, बिजनेस हेड, श्री श्याम बथवाल, सेल्स हेड, श्री दिवाकर भारद्वाज, श्रीमती सीता साहू, माननीया महापौर, पटना नगर निगम, वार्ड पार्षद, पूर्व आई.ए.एस. अधिकारीगण, इंजिनियर, डॉक्टर, बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री रामलाल खेतान, चैम्बर से मेरे अलावा उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन सहित समाज के प्रबुद्ध जनों ने 2025 तक पटना की बेहतरी के लिए काफी महत्वपूर्ण सुझाव दिये ताकि फिर से पटना में जल–जमाव की स्थिति न होने पाये। इस पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट इसी बुलेटिन में प्रकाशित की गयी है। दिनांक 24 अक्टूबर 2019 के प्रभात खबर में इस कार्यक्रम को प्रमुखता एवं विस्तृत रूप से प्रकाशित किया गया है।

बिहार चैम्बर के प्रांगण में दिनांक 11 नवम्बर 2019 को **''मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना''** के प्रतिभागियों के साथ उनके निबंधन के संबंध में विचार–विमर्श हेतु बैठक हुई जिसमें भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उप–महाप्रबंधक श्री संजय श्रीवास्तव, क्षेत्रीय प्रबंधक श्री विपिन कुमार, जिला उद्योग केन्द्र, पटना के महाप्रबंधक श्री उमेश कुमार तथा वाणिज्य –कर विभाग के पदाधिकारियों सहित चैम्बर की तरफ से उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, संयोजक श्री ए. के. पी. सिन्हा एवं श्री सुबोध जैन तथा सी.ए. श्री आशीष अग्रवाल उपस्थित थे। योजना के प्रतिभागियों के लिए ऑन स्पॉट बैंक में चालू खाता खोलने एवं जी.एस.टी. निबंधन का प्रावधान किया गया।

राज्य के बिजली वितरण कम्पनियों की ओर से बिहार विद्युत विनियामक आयोग को समर्पित की गयी टैरिफ याचिका में विद्युत कम्पनियों ने वर्त्तमान में विद्युत दरों में 3% की वृद्धि का प्रस्ताव दिया है, इससे चैम्बर चिंतित है। बिहार में उद्योग–धंधो की वर्त्तमान स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ऐसे में बिजली दरों में वृद्धि का विपरीत प्रभाव उन उद्योग–धंधो पर पड़ना निश्चित है, इससे राज्य की विकास दर बाधित होगी। मैंने इस संबंध में जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है वो दिनांक 17 नवम्बर 2019 के प्रभात खबर में प्रकाशित है तथा इस बुलेटिन में भी सूचनार्थ प्रकाशित है।

बिहार के लिए अच्छी खबर है कि बरौनी बिजलीघर की नई ईकाई से उत्पादन शुरू हो गया है। अगले माह से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की मंजूरी के बाद व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो जायेगा। राज्य की यह सबसे पुरानी परियोजना है। यह परियोजना 2005 से बंद पड़ी थी।

बिहार के लिए दूसरी अच्छी खबर है कि पटना में देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन दिनांक 5 नवम्बर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किया। इसका निर्माण बिहार राज्य खादी बोर्ड ने किया है। इसमें खादी वस्त्रों के साथ–साथ ग्रामोद्योग एवं हस्तशिल्प के उत्पादों की भी बिक्री होगी।

बिहार में रोड कनेक्टिविटी एवं सड़कों के साथ उत्कृष्ट कार्यो के आलोक में फेम इंडिया की ओर से पूरे देश में किये गये सर्वे के उपरांत श्री नन्द किशोर यादव जी, माननीय पथ निर्माण मंत्री, बिहार सरकार को सर्वश्रेष्ठ मंत्री के रूप में पुरस्कृत किया गया हैं । यह बिहार के लिए गौरव की बात है। माननीय मंत्री जी ने इस पुरस्कार को बिहार के लोगों का पुरस्कार बताया । चैम्बर की तरफ से भी बिहार के समस्त व्यवसायियों की ओर से माननीय मंत्री श्री नन्द किशोर यादव जी को हार्दिक बधाई दी गयी है।

सादर,

आपका

पी. के. अग्रवाल

बिजली दरों में वृद्धि के प्रस्ताव से चैम्बर चिंतित : पी. के. अग्रवाल

राज्य के बिजली वितरण कंपनियों की ओर से बिहार विद्युत विनियामक आयोग को सौंपी गयी टैरिफ याचिका में कंपनियों ने वर्तमान बिजली दरों में तीन फीसदी की वृद्धि करने का प्रस्ताव दिया है। इस पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने गहरी चिंता व्यक्त की है।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के अग्रवाल ने कहा कि सूबे में उद्योग-धंधों की वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर बिजली की दरों में और वृद्धि की जाती है, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव यहाँ के उद्योग-धंधों पर पड़ना निश्चित है। इससे राज्य की विकास दर भी बाधित होगी। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियों को राजस्व की क्षति पूर्ति के लिए उनके कार्यकलापों में सुधार लाना चाहिए। जैसे वितरण क्षति को घटाया जाये, विपत्रीकरण व राजस्व संग्रहण को बढ़ाया जाये। वित्तीय अनुशासन का अनुपालन करना आदि।

श्री अग्रवाल ने सरकार से अनुरोध किया है कि राज्य में विद्युत की दरें पड़ोसी राज्यों के समकक्ष ही रखा जाना चाहिए। क्योंकि राज्य के उद्यमियों को पड़ोसी राज्य से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है और अगर राज्य में विद्युत की दरें पडोसी राज्यों से अधिक होगी, तो उसका सीधा प्रभाव उत्पादन लागत पर पड़ेगा और यहाँ की निर्मित वस्तुओं की कीमत अधिक हो जायेगी।

(साभार : प्रभात खबर, 17.11.2019)

चैम्बर द्वारा महिलाओं के लिए नि:शुल्क संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र का भारतीय स्टेट बैंक के उप-महाप्रबंधक एवं क्षेत्रीय प्रबंधक ने किया अवलोकन

ब्युटीशियन प्रशिक्षण कक्ष का अवलोकन करते एसबीआई के उप-महाप्रबंधक श्री संजय श्रीवास्तव एवं क्षेत्रीय प्रबंधक श्री विपिन कुमार। साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं प्रशिक्षु महिलाएँ।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण का अवलोकन करते एसबीआई के उप-महाप्रबंधक श्री संजय श्रीवास्तव एवं क्षेत्रीय प्रबंधक श्री विपिन कुमार। साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

सिलाई प्रशिक्षण कक्ष का अवलोकन करते एसबीआई के उप-महाप्रबंधक श्री संजय श्रीवास्तव, क्षेत्रीय प्रबंधक श्री विपिन कुमार। साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं प्रशिक्षु महिलाएँ।

एसबीआई के उप-महाप्रबंधक श्री संजय श्रीवास्तव को चैम्बर का काफी टेबुल बुक भेंट करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में क्षेत्रीय प्रबंधक श्री विपिन कुमार एवं चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी।

दिनांक 11 नवम्बर 2019 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा महिलाओं के लिए नि:शुल्क संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र जिसमें महिलाओं को सिलाई-कटाई, कम्प्यूटर एवं ब्युटीशियन कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाता है, का अवलोकन भारतीय स्टेट बैंक के उप-महाप्रबंधक श्री संजय श्रीवास्तव एवं क्षेत्रीय प्रबंधक श्री विपिन कुमार ने किया।

श्री पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने दोनों पदाधिकारियों को प्रशिक्षण केन्द्र के बारे में जानकारी दी। भारतीय स्टेट बैंक के दोनों पदाधिकारियों ने कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र के नि:शुल्क संचालन हेतु चैम्बर की सराहना की।

इस अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने उप महा प्रबंधक श्री संजय श्रीवास्तव को चैम्बर का कॉफी टेबुल बुक भेंट किया।

आपदा से निबटने को तैयार हों दीर्घ और अल्पकालीन योजनाएं

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सहयोग से आयोजित प्रभात खबर संवाद कार्यक्रम पटना @2015 : विजन डॉक्यूमेंट

जलजमाव जैसी आपदाओं से निबटने के लिए सरकार को दीर्घकालीन, मध्यम व अल्पकालीन योजनाएँ तैयार करनी होंगी। इन योजनाओं को पूरा करने के लिए खर्च होने वाली राशि की जिम्मेदारी ऊपर से नीचे तक तय की जाये। साथ ही इनका क्रियान्यवन एकीकृत रूप से पूरा कराया जाये, ताकि उनकी डुप्लीकेसी न हो सके। योजनाएँ तय करने के लिए विभाग से लेकर नगर निगम, बुडको, निर्माण एजेंसी सहित जनसंगठनों की समेकित बैठकें हों मुहल्ला स्तर पर समितियाँ इन कायों की निगरानी करें।

प्रभात खबर द्वारा दिनांक 23.10.2019 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार में आयोजित संवाद कार्यक्रम पटना @ 2015 में ये सुझाव निकल कर सामने आये। वर्ष 2025 का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने को लेकर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सहयोग से आयोजित इस संवाद में पूर्व आइएएस अधिकारी, इंजीनियर, डॉक्टर, समाजसेवी, कारोबारी, शिक्षाविद, रंगकर्मी, अधिवक्ता सहित विभिन्न क्षेत्रों के करीब 100 गणमान्य लोगों ने भाग लिया।

रिटायई आइएएस विजय प्रकाश ने कहा कि इस बार पटना का जलजमाव आँखें खोलने वाला रहा, इसलिए इससे सबक लेते हुए अगली बार बाढ़ की तरह जलजमाव के लिए पहले से तैयारी रखनी होगी। नहरों की पुरानी व्यवस्था को पुनर्जीवित करते हुए उन पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर कड़े कदम उठाये जाएँ। उन्होंने शहर में होने वाले किसी भी निर्माण में समेकित प्लानिंग की जरूरत बतायी।

रिटायर्ड आइएएस अधिकारी श्याम जी सहाय ने जलजमाव को 'टोटल फैल्योर एट ऑल लेवल्स' बताते हुए बेतरतीब ढंग से हो रहे शहर के विकास पर नियंत्रण के लिए कानून बनाये जाने की आवश्यकता जतायी, उन्होंने कहा कि अगली बरसात से पहले सभी नालों की सफाई, उड़ाही व मेंटेनेंस जरूरी है। मेयर

संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते प्रभात खबर के सम्पादक श्री अजय कुमार। उनकी बाँयीं ओर क्रमशः रिटायर्ड आइएएस श्री विजय प्रकाश, माननीय महापौर, पटना श्रीमती सीता साहू, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, बीआईए अध्यक्ष श्री रामलाल खेतान, वार्ड पार्षद डॉ० आशीष कुमार सिन्हा एवं वार्ड पार्षद श्री इन्द्रदीप चन्द्रवंशी।

सीता साहू ने घनी आबादी व सीमित आमदनी का हवाला देते हुए स्मार्ट पटना के लिए राज्य सरकार व आम लोगों का सहयोग मांगा। जलजमाव पीड़ित मंच की तरफ से दिलजीत खन्ना ने पिछले पाँच वर्षों में शहर पर हुए खर्च को लेकर श्वेत पत्र जारी किये जाने व जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने स्लम से जुड़े लोगों व डॉक्टरों के करोड़ों रुपये की मशीन के नुकसान का मुआवजा भी मांगा। कार्यक्रम में आये अतिथियों का स्वागत बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने किया। जबकि विषय प्रवेश प्रभात खबर के वाइस प्रेसिडेंट विजय बहादुर ने किया।

इस मौके पर प्रभात खबर के बिजनेस हेड श्याम बथवाल और सेल्स हेड दिवाकर भारद्वाज सहित अनेक सहकर्मी मौजूद थे।

प्रभात खबर के संवाद कार्यक्रम पटना @ 2025 में लोगों ने पटना को बेहतर बनाने को लेकर दिये सुझाव

संवाद @ 2025 में उपस्थित प्रभात खबर के अधिकारीगण, चैम्बर के अधिकारीगण एवं समाज के हर वर्ग के प्रबुद्ध नागरिक।

सितम्बर के अंतिम में हुई बारिश व उससे पटना में हुए भयंकर जल जमाव की त्रासदी से पटनावासी अब भी जूझ रहे हैं। बुधवार 23.10.2019 को चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हुए प्रभात खबर के पटना @ 2025 संवाद कार्यक्रम में पहुँचे अधिकांश लोगों ने जलजमाव की अपनी इस पीड़ा को रखा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से हुए इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने इन समस्याओं से निबटने के सुझाव भी दिये।

प्रबुद्धजनों ने कहा कि पटना शहर को जलजमाव मुक्त बनाने के लिए बड़े नालों का चौड़ा करना व उनकी सालों भर उड़ाही व मेंटनेंस कराना जरूरी है। पाँच साल की जगह 25-30 साल का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाये, ताकि आने वाले वर्षों व पीढ़ियों को ऐसी परेशानी न झेलनी पड़ी सरकारी कार्यो की निगरानी को लेकर मुहल्ला स्तर पर कमेटी गठित करने तथा उसके माध्यम से योजनाओं के साथ ही छिड़काव व सफाई व्यवस्था का नियमित फीडबैक लिये जाने की बात भी कही गयी। कम समय में अधिक बारिश और उससे निबटने में एजेंसियों की भूमिका पर बातें हो रही है। इसमें दो राय नहीं कि पटना की भौगोलिक बनावट को देखते हुए जल निकासी के प्रबधन को कहीं ज्यादा सुसंगत और ठोस बनाने की चुनौती खड़ी हो गयी है। पुराने जल प्रवाह के जो साधन थे, वे या तो अतिक्रमण का शिकार हो गये या उसकी जरूरत हमारी चेतना से ही गायब हो गयी।

यह स्थिति किसी भी समय और गंभीर हो सकती है। निश्चय ही इसका सामना करने के लिए पटना नगर निगम या दूसरी एजेंसियों के पास रोड मैप होना बेहद जरूरी है अगले कुछ वर्षों को ध्यान में रखकर हमें इस पर काम करना होगा। सामाजिक स्तर पर उस मानसिकता का त्याग भी जरूरी कि किसी खाली प्लॉट में मकान या मुहल्ला बस जाने के बाद उसकी बुनियादी संरचनाएँ खड़ी की जाती है। समय के साथ किसी इलाके का विस्तार होना लाजिमी है। पर उससे भी जरूरी है कि समय के साथ पैदा होने वाली चुनौतियों का भी ध्यान रखा जाये। पहले बुनियादी संरचनाओं का विकास हो, उसके बाद घर-मकान बनाने का

सिलसिला शुरू हो। आज हम सबके सामने जो समस्या पैदा हो गयी। उसकी बड़ी वजह बे-तरतीब मुहल्लों का बसना भी है। ऐसे में उन प्राधिकारों को कठोर फैसले करने होंगे, तभी बात बनेगी।

लोगों ने कहा, बढ़े सड़कों की चौड़ाई, पॉलीथिन पर पूरी तरह रोक लगे : संवाद पटना @ 2025 में पहुँचे प्रबुद्धजनों ने स्मार्ट शहर के लिए सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने तथा प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग भी दोहरायी। लोगों ने कहा कि राजधानी होने के नाते सरकार को पटना पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

नगर निगम क्षेत्र में कोई भी गतिविधि उससे एनओसी लेकर ही होनी चाहिए। सिंगल यूज प्लास्टिक उद्योग को बंद करना होगा। अर्बन डेवलमेंट ऑथिरिटी को इसको लेकर कड़े नियम-कानून बनाने की जरूरत है। आपसी तालमेल बनाने से ही सभी समस्याओं का निदान होगा। पटना को स्मार्ट बनाने से पहले ड्रेनज सिस्टम को सही करना होगा। ड्रेनेज सिस्टम इसमें सबसे बड़ी बाधा है। सभी मुहल्लों के नाले व सीवरेज का नक्शा उस इलाके के मुख्य चौराहे पर लगाया जाना जनहित में होगा। प्लानिंग ऑफ अर्बन डेवलपमेंट पर ध्यान देने की जरूरत है। नालों की ऊँचाई सड़कों से नीचे होनी चाहिए ताकि पानी निकासी सुगम रहे। फिलहाल लोगों के दर्द को बांटने के लिए जन प्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों को भी जनता के पास जाना चाहिए। इससे उनका रोष भी कम होगा। नगर निगम, बुडको, स्मार्ट सिटी को साथ में मिल कर काम करने की जरूरत है। सरकार व नगर निगम को संवेदनशील होकर डिलिवरी सिस्टम फास्ट करना होगा। ताकि आम जनता को दोबरा इस तरह की आपदा का सामना नहीं करना पड़े।

प्रमुख सुझाव

पटना को स्मार्ट बनाने के लिए मिलकर करना होगा काम : सीता साहू

कार्यक्रम में पहुँची पटना नगर निगम की महापौर सीता साहू ने कहा कि पटना को स्मार्ट बनाने के लिए सभी लोगों को मिल कर काम करना होगा। लोग स्मार्ट होंगे तभी पटना स्मार्ट बनेगा। उन्होंने स्वीकार किया कि निगम में जो भी काम होंगे उसमें निगम अधिकारियों के साथ प्रतिनिधियों के साथ मिल कर निर्णय लिया जायेगा। जनता की भी भागीदारी रहेगी ताकि बेहतर काम हो सके। महापौर ने कहा कि पटना की आबादी पहले की अपेक्षा कई गुना अधिक बढ़ गयी है। इसके अनुसार संसाधनों की व्यवस्था कर काम करना होगा। जो कमी रह गयी थी, वह आगे नहीं हो इसका पूरा ख्याल रखा जायेगा। उन्होंने कहा कि जल जमाव से लोगों को काफी परेशानी हुई। इस परेशानी को वे भी समझ रही है।

सरकार को संवेदनशील होना होगा : एन. के. ठाकुर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर ने कहा कि सरकार को तीन साल लग गये केवल बिल्डिंग बायलॉज और मास्टर प्लान बनाने में। इसके साथ दो साल से ज्यादा इसे रिविजन करने में लग गये। आज भी संपूर्ण मास्टर प्लान और बायलॉज में त्रुटि है। ऐसे सरकार के रहते 2025 विजन पर क्या बात किया जाये। सरकार को संवेदनशील होना होगा। डिलिवरी सिस्टम फास्ट करना होगा।

विभागों में आपसी तालमेल जरूरी : पी. के. अग्रवाल

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि पटना में समेकित रूप से योजनाओं को चलाने की जरूरत है। जब सभी विभाग मिलकर एक दिशा में काम करेंगे, तभी बेहतर स्थिति कायम होगी। इसके बारे में संबंधित विभागों को सोचना होगा। अभी देखा जाता है कि एक विभाग का काम चल रहा होता, तो दूसरा विभाग उसी स्थान पर काम शुरू कर देता है। पटना के लोगों को चाहिए कि वे अपने शहर को व्यवस्थित करने में मदद करें।

तालाब-नहर फिर से स्थापित हों : रामलाल खेतान

बीआइए के प्रेसिडेंट आर. एल. खेतान ने कहा कि जलनिकासी के लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनना चाहिए जो स्थायी हो। समरसेवल पम्प होने चाहिए। जिन लोगों की गलती है, जिनकी वजह से पटना डूबा, उनके ऊपर ठोस कार्रवाई होना चाहिए। अन्यथा वे चेतेंगे नहीं। तालाब व नहर भर दिये गये हैं। उन्हें फिर से स्थापित करने की योजना बननी चाहिए। टाउनशिप की कोई प्लान ही नहीं है। प्रभात खबर का यह अच्छा प्रयास है। इस तरह से समाज की अन्य संस्थानों को भी उक्त मुद्दों को उठाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त कई लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 24.10.2019)

माननीया महापौर पटना नगर निगम ने चैम्बर द्वारा नि:शुल्क संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र का किया अवलोकन

दिनांक 23 अक्टूबर 2019 को माननीया महापौर पटना नगर निगम श्रीमती सीता साहू चैम्बर द्वारा नि:शुल्क संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र का अवलोकन करने पहुँची।

कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र के बारे में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन ने सारी जानकारी माननीय महापौर को दी।

माननीया महापौर ने चैम्बर द्वारा नि:शुल्क संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र के नि: शुल्क संचालन हेतु चैम्बर की सराहना की।

प्रशिक्षण केन्द्र का अवलोकन करतीं माननीया महापौर, पटना श्रीमती सीता साहू। उनकी बाँयी ओर वार्ड पार्षद आशीष सिन्हा एवं चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन। दाँयीं ओर प्रशिक्षण केन्द्र की इंचार्ज सुश्री माधवी सेन गुप्ता एवं प्रशिक्षु महिलाएं।

जी मीडिया (बिहार-झारखण्ड) द्वारा आयोजित RERA SUMMIT में चैम्बर अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित

जी मीडिया (बिहार-झारखण्ड) द्वारा आयोजित रेरा समिट का दीप प्रज्वलित कर शुभारम्भ करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में रेरा के चेयरमैन श्री अफजल आमानुल्लाह एवं अन्य।

रेरा समिट को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

जी मीडिया (बिहार-झारखण्ड) द्वारा दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 को होटल मौर्या, पटना में रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी (RERA) से संबंधित 'रेरा समिट' का आयोजन किया गया। समिट में रेरा के चेयरमैन श्री अफजल अमानुल्लाह, मुख्य अतिथि, रेरा के सदस्य श्री आर. बी. सिंह एवं श्री सुबोध कुमार उपस्थित थे।

इस अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल विशेष रूप में आमंत्रित थे। उन्होंने रेरा अध्यक्ष आदि के साथ दीप प्रज्जवलित कर समिट का शुभारम्भ किया।

जी मीडिया द्वारा रेरा समिट आयोजन का मुख्य उद्देश्य रेरा, बिल्डर्स एवं खरीदार को एक मंच पर लाकर रेरा के नियमों से बिल्डर्स एवं खरीदारों को हो रही कठिनाईयों से रेरा को अवगत कराना एवं रेरा द्वारा समाधान से अवगत कराना था।

चैम्बर अध्यक्ष ने समिट को सम्बोधित भी किया एवं बिल्डर्स द्वारा उठाई गयी समस्याओं का समर्थन किया।

इस अवसर पर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं चैम्बर के सदस्य डॉ. रमेश गॉधी, श्री नन्हें कुमार एवं श्री पशुपति नाथ पाण्डेय भी उपस्थित थे।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की क्षेत्रीय परिषद की बैठक में चैम्बर अध्यक्ष सम्मिलित हुए

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की क्षेत्रीय परिषद बिहार की 75वीं बैठक नियोजन भवन पटना में दिनांक 21 नवम्बर 2019 को आयोजित हुई। उक्त बैठक की अध्यक्षता माननीय श्रम संसाधन मंत्री बिहार श्री विजय कुमार सिन्हा ने की। उक्त बैठक में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल सम्मिलित हुए।

चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार-झारखण्ड) से मिला

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 26 नवम्बर 2019 को चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल के नेतृत्व में नवनियुक्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, बिहार–झारखण्ड श्री वीरेन्द्र सिंह, भा.रा.से. से उनके कार्यालय कक्ष में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में चैम्बर के कार्यकारिणी सदस्य श्री राजेश खेतान, श्री सुनील सराफ एवं श्री आशीष अग्रवाल भी शामिल थे।

बिहार के बजट में होगा दस फीसदी का इजाफा

बिहार के वित्तीय वर्ष 2020–21 के बजट में दस फीसदी का इजाफा होगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 में बिहार का बजट 2 लाख 05 हजार करोड़ का है। अगले वित्तीय वर्ष में बढ़कर 2 लाख 30 हजार करोड़ होने की संभावना है। वित्त विभाग ने समय पर बजट पेश किए जाने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है।

वित्त विभाग के प्रधान सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने सभी विभागों के प्रधान सचिव व सचिवों को पत्र लिखकर वार्षिक बजट की अनुमानित रूपरेखा तैयार कर प्रस्तावित बजट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि बजट सत्र के दौरान प्रत्येक वर्ष बजट पेश किए जाने का समय तय होता है। सभी विभागों से प्रस्तावित वार्षिक बजट उपलब्ध होने के बाद राज्य का वार्षिक बजट तैयार होगा। फिर, उसके प्रकाशन की कार्रवाई होगी और तब विधानमंडल में उसे निर्धारित समय पर पेश किया जाएगा।

साल दर साल बढ़ता गया राज्य का बजट

वित्तीय वर्ष	बजट	आकार
2008–09	38,574	7,326
2009–10	47,446	9,760
2010–11	53,758	10,855
2011–12	65,325	13,501
2012–13	78,686	17,388
2013–14	92,087	21,505
2014–15	1,16,886	22,308
2015–16	1,20,685	27,634
2016–17	1,44,696	26,145
2017–18	1,60,085	34,876
2018–19	1,76,990	35,447
2019–20	2,00,501	

वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार चुनावी वर्ष होने के कारण अगले वित्तीय वर्ष के बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन पर मुख्य फोकस होगा। वहीं, युवाओं से जुड़ीं योजनाओं में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, किसानों को मुआवजा व कृषि अनुदानों का भी ध्यान रखा जा सकता है। 2004–05 में बजट आकार सिर्फ 23 हजार 885 करोड़ का था, जो अब नौ गुना बढ़ चुका है। पिछले वर्ष की तुलना करें तो 2020–21 का बजट दो लाख 30 हजार करोड़ तक हो सकता है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 18.10.2019)**

आधार का इस्तेमाल आपकी मर्जी के बिना नहीं कर सकते हैं बैंक

बैंक आधार का इस्तेमाल ग्राहक को जानने (केवाईसी) के लिए करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि बैंक अपनी मर्जी से आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए बैंक को आपकी इजाजत लेनी होगी। अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो बैंक आधार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हाल ही में रिजर्व बैंक ने आधार के इस्तेमाल को लेकर जारी निर्देश में कहा है कि बैंक को ऐसे व्यक्तियों का आधार सत्यापन/ऑफलाइन सत्यापन के लिए कर सकते हैं जो स्वेच्छा से अपने आधार का उपयोग पहचान को प्रमाणित करने के लिए करना चाहते हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का लाभ लेने वाले व्यक्ति के लिए आधार के जरिए केवाईसी करना होगा। यानी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार देना होगा। इसके अलावा किसी दूसरे काम के लिए आधार से केवाईसी जरूरी नहीं होगा। वे किसी दूसरे दस्तावेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

इस तरह अपने डाटा को सुरक्षित करें : आधार कार्ड के बायोमैट्रिक आंकड़ों को लॉक करना बहुत आसान है और इसे मिनटों में किया जा सकता है। यह काम आप आधार की वेबसाइट से या अपने पंजीकृत मोबाइल से कर सकते हैं। आधार नंबर लॉक हो जाने पर कोई भी बायोमैट्रिक को सत्यापन के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे। बैंक भी बायो मैट्रिक डेटा का यूज नहीं कर पाएंगे। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 18.10.2019)**

बादशाही सहित सभी नौ नालों का हर हाल में पुनरुद्धार करना आवश्यक : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार 24.10.2019 को कहा कि पटना को जलजमाव जैसी समस्याओं से मुक्ति दिलाने को ले अल्प अवधि व दीर्घ अवधि दोनों तरह की योजनाएँ बनाई जाएँ। अगली बरसात के पहले दीर्घ अवधि वाली योजनाओं को स्वीकृति मिल जानी चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम को और अधिक सुदृढ़ किए जाने को ले तेजी से काम करने की जरूरत है ताकि आगे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। सचिवालय स्थित सभा कक्ष में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित पटना से जुड़े जनप्रतिनिधियों के साथ आयोजित विशेष बैठक में मुख्यमंत्री ने यह बात कही।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 25.10.2019)

बीमा कंपनियाँ समय-सीमा में दें मुआवजा : चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने बीमा कंपनियों को पत्र लिखकर राजधानी में जलजमाव से हुए नुकसान को समय सीमा के अंदर मुआवजा देने का अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने केन्द्रीय वित्त मंत्री, कानून मंत्री एवं राज्य के सांसदों व विधायकों से आग्रह किया है कि पीड़ित लोगों को बीमा कंपनियों से मुआवजा दिलाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा, राजधानी में जलजमाव के कारण लोगों को काफी क्षति हुई है।

उन्होंने कहा कि सर्वाधिक क्षति व्यावसायियों का हुआ है। करोड़ों-अरबों का समान बर्बाद हो गया है। काफी संख्या में वाहनों को भी क्षति पहुँची है।

(साभार : दैनिक जागरण, 15.10.2019)

एकमुश्त समाधान योजना : सबका विश्वास

केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर के लंबित मामले में ब्याज-पेनाल्टी पूरी तरह से माफ

सेंट्रल जीएसटी के बिहार-झारखंड के चीफ कमिश्नर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि केन्द्र सरकार ने उत्पाद एवं सेवा कर के लंबित मामले को निपटाने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) सबका विश्वास लॉन्च किया है। इस योजना के तहत लंबित मामलों के टैक्स अमाउंट में एक तरफ जहाँ 50 से 70 से फीसदी की भारी छूट दी जा रही है। वहीं ब्याज-पेनाल्टी पूरी तरह माफ कर दी जाएगी। योजना 31 दिसम्बर तक चलेगी।

दिनांक 17 अक्टूबर 2019 को हिमांशु गुप्ता सीजीएसटी बिहार-झारखण्ड के चीफ कमिश्नर का पदभार ग्रहण करने के बाद वे पत्रकारों से रूबरू थे। उन्होंने कहा कि योजना के तहत ब्याज, पेनाल्टी की पूर्ण माफी और अभियोजना से मुक्ति मिलेगी।

जीएसटी के प्रधान आयुक्त आर मंगाबाबू ने बताया कि लंबित मामले में यदि यह राशि 50 लाख से कम है तो छूट की सीमा 70 फीसदी है, वहीं 50 लाख से अधिक की राशि पर छूट 50 फीसदी है।

1800 कारोबारी अपील में : राज्य में केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर के तहत करीब 1800 मामले लंबित हैं। सभी मामले जीएसटी के पहले के हैं, यानी उत्पाद एवं सेवा कर हैं। विभाग ने कोरोबारियों को कई बार नोटिस भी जारी किया लेकिन कारोबारी लगातार अपील का रास्ता अपना रहे हैं। ऐसे करदाताओं के लिए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर के लंबित मामले के निष्पादन के लिए एकमुश्त कर भुगतान योजना सबका विश्वास योजना 2019 लेकर आया है।

तीन में एक कारोबारी नहीं दाखिल कर रहा रिटर्न : सेंट्रल जीएसटी के बिहार-झारखण्ड के चीफ कमिश्नर ने बताया कि बिहार में सेंट्रल जीएसटी में पंजीकृत तीन में एक कारोबारी समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे हैं। लेकिन सीजीएसटी के अधिकारी रिटर्न दाखिल करने में आने वाली सभी समस्या का समाधान करने को तैयार हैं। कम रिटर्न दाखिल होने को विभाग गंभीरता से ले रहा है। इसके लिए लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

(साभार : दैनिक भास्कर, 18.10.2019)

जोखिम के मुताबिक जमा का बीमा

बैंकों में जमा के बीमा के लिए जोखिम आधारित प्रीमियम मॉडल के पक्ष में आरबीआई

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी सहायक संस्था डिपॉजिट इंश्योरेंस ऐंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (डीआईसीजीसी) से कहा है कि ग्राहकों की जमा रकम पर बीमा देने के लिए बैंकों से प्रीमियम वसूली की जोखिम आधारित व्यवस्था तैयार की जाए। आरबीआई के एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि बैंकों में ग्राहकों की जमा रकम में से अभी अधिकतम 1 लाख रुपये का बीमा होता है। केन्द्रीय बैंक को लगता है कि इस सीमा को बढ़ाने से पहले यह पता चलना चाहिए कि बैंकों में कितना जोखिम है और उसके हिसाब से उनसे प्रीमियम वसूला जाना चाहिए।

सूत्रों के अनुसार 11 अक्टूबर को चंडीगढ़ में आरबीआई के केन्द्रीय बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसमें बैंक में ग्राहकों की जमा रकम का बीमा बढ़ाने के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई थी। अधिकारी ने कहा, 'हालांकि बीमा योग्य रकम की सीमा तब तक नहीं बढ़ाई जा सकती, जब तक बैंक से जुड़ा जोखिम देखकर उससे अधिक प्रीमियम वसूलने का फैसला नहीं किया जाए क्योंकि नैतिक रूप से यह सही नहीं होगा।'

बैंकों में हरेक ग्राहक की जमा राशि में से 1 लाख रुपये तक की रकम का डीआईसीजीसी से बीमा होता है। यह रिजर्व बैंक की सहयोगी कंपनी है, जो जमाकर्ताओं की रकम की गारंटी देती है। यह गारंटी सभी व्यावसायिक बैंकों, स्थानीय बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों में जमा राशि पर दी जाती है। किसी बैंक का कारोबार उप होने पर डीआईसीजीसी जमाकर्ता को बीमित रकम दे देता है। अप्रैल 2005 से डीआईसीजीसी सभी बैंकों से प्रति 100 रुपये 10 पैसे प्रीमियम ले रहा है।

(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 22.10.2019)

अभी तक नहीं मिला आयकर रिफंड तो यह है रास्ता

सलाह : आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि निकले करीब दो महीने होने वाले हैं। आमतौर पर रिटर्न भरने के 15 दिन में रिफंड की रकम मिल जाती है। ऐसे में अगर आपको अभी तक रिफंड नहीं मिला है तो घबराने की जरूरत नहीं है। रिटर्न भरने के दौरान खाता संख्या या दूसरी जानकारी गलत देने पर ऐसा हो सकता है। आप रिफंड पाने के लिए दोबारा कर विभाग में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन करें दोबारा रिफंड के लिए आवेदन : सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर विलक करें। इसके बाद माय अकाउंट पर क्लिक करके सार्विस रिक्वेस्ट के लिंग पर जाएं। इसके बाद रिक्वेस्ट टाइप पर क्लिक करके न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करें। इसके बाद अनुरोध श्रेणी में रिफंड फिर से जारी करने के टैब को चुनें। इसके बाद अपने से जुड़ी जानकारी और रिफंड फेल होने की वजह भरना होगा। इसके बाद सबमिट बटन दबाना होगा।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 22.10.2019)

10 लाख तक की आय पर टैक्स 20% से घट कर हो सकता है 10%

देश में आर्थिक सुस्ती की चर्चा लगातार हो रही है और इसको दूर करने के लिए सरकार ने कई तरह के कदम भी उठाये हैं। सरकार ने जब कॉरपोरेट टैक्स की दरों में कटौती कर उसे 25% पर लाया था। तभी से यह चर्चा तेज हो गयी थी कि सरकार अब आयकर के मोर्चे पर भी इसी तरह की राहत दे। अब यह खबर आ रही है कि आम नागरिकों के लिए आयकर स्लैब में बदलाव हो सकता है, जिससे लाखों करदाताओं को लाभ होगा। नीति आयोग के पूर्व चेयरमैन

अरविन्द पनगरिया ने कहा है कि पर्सनल इनकम टैक्स के स्तर पर भी इसी तरह का सुधार किया जायेगा। आयकर एक्ट में बदलाव के लिए गठित अखिलेश रंजन टास्कफोर्स ने भी टैक्स स्लैब में बदलाव की सिफारिश की थी। अभी कुल टैक्स पर 4% सेस लगता है व ₹ 5 लाख तक की आय पर टैक्स में रिबेट मिलता है।

1.5 करोड़ करदाताओं का बदल जायेगा टैक्स स्लैब : 10 लाख तक की आय पर 10% टैक्स होने से बड़ी संख्या में करदाताओं को फायदा होगा। 20% वाले टैक्स स्लैब में से लगभग 1.5 करोड़ करदाताओं का टैक्स स्लैब बदल जायेगा और उन्हें 10% कम टैक्स देना होगा।

अनुमानित नया टैक्स रलैब : • 2.5 से10 लाख तक की आय पर 10 प्रतिशत कर • 10–20 लाख की आय पर 20 प्रतिशत कर • 20 लाख से दो करोड़ की आय पर 30 प्रतिशत कर • दो करोड़ से अधिक पर 35 प्रतिशत

10 लाख आय वालों को 34% का होगा फायदा : अधिक आय वाले लोगों को ज्यादा फायदा होगा। 10 लाख रुपये की कुल करयोग्य आय पर 34% का फायदा होगा, यानी टैक्स देनदारी 1.06 लाख रुपये से घटकर 70, 000 रुपये पर आ जायेगी। **(साभार : प्रभात खबर, 22.10.2019)**

बैंकों में सुधार के नए उपाय के निर्देश

• एनपीए की वसूली के लिए आईबीसी से इतर विकल्प तलाशें बैंक • ग्रामीण ऋण के लिए केन्द्रीय प्रोसेसिंग केन्द्र खोले जाएँ • व्यक्तिगत ऋण के लिए समर्पित बिक्री चैनल शुरू हो • जोखिम की समय पूर्व चेतावनी के लिए आईटी प्रणाली स्थापित की जाए।

केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) के दायरे से बाहर रहते हुए समाधान के वैकल्पिक तरीके पर विचार करने के लिए कहा है। यह निर्देश सुधार के उन नए उपायों का हिस्सा है, जिनका पालन बैंकों को करना है।

सरकार ने सरकारी बैंकों से यह भी कहा कि वे बड़े कर्जों के लिए 'लचीली ऋण जोखिम नियंत्रण प्रणाली' विकसित करें। साथ ही उसने कंसोर्टियम को उधार देने वाले प्रस्तावों पर फैसला लेने के लिए बैंकों को 45 दिन की मोहलत देने का फैसला किया है। ये उपाय उन्नत उपलब्धता एवं सेवा उत्कृष्टता कार्यक्रम के तहत होने वाले सुधारों के दूसरे चरण के अंग हैं। इस चरण को ईज 2.0 का नाम दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने इस कार्यक्रम का ब्योरा सभी सरकारी बैंकों को भेजा है। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 18.10.2019)**

विश्व बैंक ने घटाई आर्थिक वृद्धि दर

विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 13.10.2019 को 6% कर दिया। वित्त वर्ष 2018–19 में वृद्धि दर 6.9 फीसदी रही थी। हालांकि, विश्व बैंक ने कहा कि महँगाई अनुकूल है। अगर मौद्रिक रुख नरम बना रहा तो वृद्धि दर धीरे–धीरे सुधर कर 2021 में 6.9 प्रतिशत और 2022 में 7.2 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2018–19 में वृद्धि दर, 2017–18 के 7.2 से नीचे 6.8% रही थी। **(साभार : हिन्दुस्तान, 14.10.2019)**

घर में रखे सोने पर टैक्स लगाने की तैयारी

सोने में काला धन रखने वालों की खैर नहीं। सूत्रों के मुताबिक सरकार नोटबंदी के बाद दूसरा सबसे बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। एक तय मात्रा से ज्यादा बिना रसीद के सोना रखे होने पर उसकी जानकारी देनी होगी और उसकी कीमत सरकार को बतानी होगी। साथ ही उसपर टैक्स चुकाना होगा और न बताने पर भारी जुर्माना लगेगा। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार इस स्कीम के तहत सोने की कीमत तय करने के लिए मूल्यांकन केन्द्र से प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) लेना होगा। ये स्कीम एक खास समय सीमा के लिए ही होगी। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 31.10.19)**

लेखाकार कानून होगा सख्त !

कंपनी मामलों का मंत्रालय लेखा फर्मों और उनके द्वारा ऑडिट की जा रही कंपनियों के बीच हितों का टकराव खत्म करने के लिए सनदी लेखाकार अधिनियम में संशोधन की योजना बना रहा है। साथ ही ऑडिट फर्में जिन नेटवर्क इकाइयों की अंग हैं, कानून में उन इकाइयों से जुड़े झोल दूर करने के उपाय भी सरकार खंगाल रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'हमें सनदी लेखाकार अधिनियम को मजबूत करने की जरूरत है। जिम्मेदारी और पारदर्शिता लाने के लिए हमें कई इकाइयों को नियामकीय दायरे में लाने की जरूरत है।'

कंपनी मामलों के मंत्रालय ने अक्टूबर 2018 में एनएफआरए का गठन किया था, जिसका मकसद केन्द्र सरकार को लेखा एवं लेखा नीतियों के गठन तथा कंपनियों द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों पर सिफारिशें देना है। एनएफआरए के पास ऑडिटर और लेखा फर्मों के मूल्यांकन का अधिकार है लेकिन उसका दायरा सूचीबद्ध कंपनियों तक ही सीमित है। सनदी लेखाकार अधिनियम को ज्यादा सख्त बनाने की योजना के पीछे एक वजह यह भी है।

(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 7.10.2019)

GOVT TO DECRIMINALISE 2/3RDS OF OFFENCES UNDER COMPANIES ACT

The government is set to decriminalise two-thirds of the Companies Act as it looks to do away with jail term in over 40 sections out of the 66 where compounding is permitted.

Besides, the ministry of corporate affairs, which is pushing the change, is also seeking to lower the penalty for small companies, sources told TOI. The move is expected to benefit around 8 lakh of the 11 lakh registered Indian companies which have a turnover of up to Rs 2 crore and a paid-up capital of Rs 50 lakh or less.

Through the process of compounding, a company or its executives can avoid prosecution by paying penalty.

Bill Likely in Winter Session : • Centre's move to decriminalise many sections of Companies Act likely to benefit 8 lakh of 11 lakh registered companies, which have turnover of up to ₹ 2 crore and paid-up capital of up to ₹ 50 lakh • Corporate affairs ministry seeking to lower penalty for small companies • Govt plans to introduce a Bill to amend law in winter session of Parliament • Earlier, govt had amended law to reduce the number of provisions that attract jail term from 81 to 66 • Move in line with PM Narendra Modi's call to respect wealth creators and usher in ease of living, say sources. **(Detail : Times of India, 14.10.2019)**

आधार से लिंक होगी प्रॉपर्टी

देश में पहली बार संपत्ति स्वामित्व का मॉडल कानून बनेगा, ड्राफ्ट तैयार, जल्द कैबिनेट में आएगा

आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटाना या मुआवजा देना सरकार की जिम्मेदारी होगी, आधार लिंक नहीं कराया तो सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी • जमीन, मकान या फ्लैट की खरीद–फरोख्त में फर्जीवाड़ा रोकने में आसानी होगी

अचल संपत्ति के स्वामित्व के लिए अब उसे आधार से लिंक कराना होगा। केन्द्र सरकार पहली बार संपत्ति स्वामित्व के लिए कानून ला रही है। ड्राफ्ट तैयार है। 5 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी बन चुकी है, जो राज्यों से समन्वय करेगी। जमीन से जुड़े मामले राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हैं, इसलिए केन्द्र मॉडल कानून बनाकर राज्यों को देगा। 19 राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं। संभव है कि ज्यादातर में कानून लागू हो जाएगा।

नए मॉडल कानून के फायदों के बारे में वो सबकुछ, जो आप जानना चाहते हैं : स्वामित्व की प्रक्रिया क्या होगी? अभी क्या व्यवस्था है? आगे क्या व्यवस्था होगी? नया कानून लागू कैसे होगा? संपत्ति मालिक को क्या फायदा होगा? सरकार को कैसे फायदा होगा?

इसमें कुछ चुनौतियाँ भी हैं.... • सर्वे और बगौर सर्वे की जमीनों का रिकॉर्ड तैयार कराने में काफी समय लग सकता है • अभी बिना विवाद वाली जमीन का ही टाइटल हो पाएगा, विवादित जमीन का नहीं • जमीन से जुड़े कुल 8 कानूनों में संशोधन कराना होगा • कई विभागों को एक आथॉरिटी के तहत लाकर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा • सामुदायिक मालिकाना हक का टाइटल कैसे होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 26.10.2019)**

जमीन खरीद पर चेक से भुगतान अनिवार्य

कालेधन का प्रवाह रोकने के लिए ही इनकम टैक्स ने नियम बनाए, बिना चेक से भुगतान पर होगी जाँच

जमीन रजिस्ट्री में अब चेक से भुगतान अनिवार्य होगा। वहीं, इसके लिए पैन व आधार कार्ड भी जरूरी होगा। अगर आप 20 हजार या उसके ऊपर की जमीन बेच रहे हैं तो चेक से भुगतान लेना होगा। अगर खरीदार ने चेक से भुगतान नहीं किया तो जमीन बेचने वाले को आयकर टैक्स भरना होगा। पहले नकद भुगतान करने पर टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अब आयकर ने यह नियम बना दिया है।

सामान खरीदने पर भी टैक्स : वहीं, सामान की खरीदारी में भी चेक से भुगतान की व्यवस्था की गई है। कोई भी व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 2 लाख से कम का ही सामान नकद खरीद व बेच सकता है। दो लाख या उसके ऊपर के सामान खरीद व बिक्री में चेक से भुगतान करना होगा। अगर दो लाख या उसके ऊपर के सामान की बिक्री व खरीदारी में नकद भुगतान नहीं किया गया तो क्रेता व बिक्रेता को टैक्स भरना होगा। वहीं, एक वित्तीय वर्ष में दो लाख से कम का होटल व नर्सिग होम बिल का भुगतान नकद में जमा कर सकते हैं।

"20 हजार या उससे ऊपर की जमीन खरीदारी में चेक भुगतान अनिवार्य है। इस नियम का इनकमटैक्स अब सख्ती से पालन कराएगा। चेक से भुगतान नहीं होने पर जमीन क्रेता को टैक्स देना होगा।"

– संजीव दत्त, **निदेशक,** आयकर, इंवेस्टिगेशन विंग

(साभार : हिन्दुस्तान, 17.10.2019)

पटनावासियों से नगर निगम वसूलेगा अग्निशमन कर

पटनावासियों से नगर निगम अब अग्निशमन कर वसूलने की तैयारी में है। इसके लिए होल्डिंग टैक्स का एक प्रतिशत से लेकर 25 प्रतिशत तक अग्निशमन कर के रूप में लिया जाएगा। सोमवार दिनांक 21.10.2019 को सशक्त स्थायी समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को पेश किया गया। प्रारूप के मुताबिक आवासीय इमारत जिसकी ऊँचाई 36 फीट और उससे अधिक होगी उस पर इसके होल्डिंग टैक्स का एक प्रतिशत सालाना अग्निशमन कर के रूप में देना होगा। वहीं गैर आवासीय भवन, गोदाम, दुकानें जहाँ ज्वलनशील सामग्री रखी जाती है उससे होल्डिंग टैक्स का पाँच प्रतिशत और अन्य दुकानें और कारखानों से उनके होल्डिंग टैक्स की 25 प्रतिशत राशि अग्निशमन कर के रूप में सालाना लिया जाएगा।

कार को महीने में देना होगा 1200 रुपये टोल : निगम क्षेत्र में प्रवेश करने वाली गाड़ियों को टोल चुकाने के लिए मासिक पास की भी व्यवस्था रहेगी। कार और जीप से टोल के रूप में एक तरफ का 35 रुपये और वापसी का 55 रुपये जबकि मासिक पास के लिए 1200 रुपये चुकाने होंगे। जबकि हल्के चार पहिया वाहनों से 45 व 70 रुपये क्रमशः लगेंगे। मासिक पास 1550 रुपये का होगा। बस और ट्रक को 90 व 135 रुपये चुकाने होंगे। जबकि मासिक शुल्क 3000 रुपये लगेंगे। मल्टी एक्सल वाहनों से 115 एवं 175 शुल्क लगेगा।

(साभार : दैनिक जागरण, 22.10.2019)

लघु व मंझोले उद्योगों की परिभाषा में होगा बदलाव

सरकार जल्द ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की परिभाषा में बदलाव करने जा रही है। केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिनांक 22.10.2019 को यह जानकारी दी।

उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले पाँच साल के दौरान एमएसएमई क्षेत्र में पाँच करोड़ रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगस्त में कहा था कि सरकार एमएसएमई कानून में संशोधन कर सकती है जिसमें पूरे क्षेत्र के लिए एक परिभाषा तय की जा सकती है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा को अद्यतन कर समूचे क्षेत्र के लिए कराधान, निवेश जैसे विभिन्न मामलों को ध्यान में रखते हुए एक परिभाषा बनाई जा सकती है। परिभाषा में यह संशोधन एमएसएमई कानून में संशोधन के जरिये किया जा सकता है। यह देश गें कारोबार सुगमता परिदृश्य को और बेहतर बनाने की दिशा में एक और कदम होगा। पिछले साल फरवरी में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एमएसएमई वर्गीकरण के मानदंडों में बदलाव के लिए संशोधन को मंजूरी दी थी। यह बदलाव एमएसएमई के वर्गीकरण को संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश 'राशि' के बजाय उनके सालाना कारोबार के आधार पर किए जाने के बारे में किया गया। इस पहल से इन उद्योगों को मदद मिलेगी। एसएसएमई की परिभाषा में प्रस्तावित बदलाव के बारे में पूछे जाने पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ने कहा कि इसे जल्द ही अमल में लाया जाएगा। एमएसएमई मंत्री ने एक लक्जरी सिम्पोजियम 2019 के मौके पर संवाददाताओं से अलग से बातचीत में यह कहा।

बहरहाल, एमएसएमई क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था का हृदय माना गया है। सकल घरेलू उत्पाद में इसका 29 फीसद योगदान है। अब तक इस क्षेत्र ने 11 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। मंत्री ने कहा कि अब हमारा लक्ष्य पाँच साल के लिये यह है कि हम पाँच करोड़ से अधिक रोजगार के और अवसर पैदा करेंगे। विशेषकर जनजातीय, ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में यह अवसर पैदा किए जाएँगे।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 23.10.2019)

अब बिहार प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को मिला जुर्माना लगाने का अधिकार

बिहार प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की दिनांक 24.10.2019 को हुई अहम बैठक में जुर्माना लगाने के अधिकार को औपचारिक तौर पर स्वीकार कर लिया। अब तक पर्षद के पास प्रदूषण फैलाने वाली किसी भी फर्म या संस्था पर जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं था। केन्द्र ने यह अधिकार राज्यों के बोर्ड को सौंप दिया था। बोर्ड को इन अधिकारों के प्रयोग के लिए औपचारिक तौर पर अपनी मीटिंग में मंजूर करना भर था। बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह औपचारिकता 14.10.2019 को पूरी कर ली है। जुर्माना 'इन्वायरमेंटल कंपनसेशन' के नाम से वसूल किया जायेगा।

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 24 अक्टूबर से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद प्रदूषण फैलाने वाली किसी भी सरकारी या गैरसरकारी एजेंसी पर जुर्माना लगा सकेगा। पर्षद के अध्यक्ष डॉ अशोक कुमार घोष ने बताया कि इस अधिकार का रास्ता साफ हो गया है। अब राज्य भर के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दफ्तर प्रदूषण फैलाने वाली एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि जुर्माना लगाने की कवायद एक फॉर्मूले के तहत की जायेगी। इसमें प्रदूषण फैलाये जाने की समयावधि, क्षेत्रफल और आबादी के अनुपात के हिसाब से जुर्माना लगाया जायेगा। जुर्माने की कोई लिमिट तय नहीं है। इसमें सरकारी एजेंसियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान दिया गया है। राज्य के पर्यावरण के हक में इस अधिकार का इस्तेमाल किया जायेगा। **(साभार : प्रभात खबर, 25.10.2019)**

योग्य स्वतंत्र निदेशकों का डाटा बैंक बनाएगी सरकार

कॉरपोरेट सेक्टर में गुड गवर्नेंस की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार एक ऑनलाइन टेस्ट के जरिये स्वतंत्र निदेशक बनने के लिए योग्य लोगों का डाटा बैंक बनाएगी। कंपनियाँ इस डाटा बैंक से अपने लिए स्वतंत्र निदेशक नियुक्त कर सकेंगी। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स इस टेस्ट का आयोजन कराएगा। मंत्रालय ने कहा है कि कुछ व्यक्तिगत श्रेणियों के मामले में टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। छूट ऐसे निदेशकों को मिलेगी, जिन्होंने निदेशक के तौर पर दस साल तक काम किया है या किसी कंपनी में महत्वपूर्ण प्रबंधकीय पद पर रहे हैं। छूट पाने वाले निदेशकों के अतिरिक्त अन्य सभी को अपना नाम डाटा बैंक में शामिल किए जाने के सालभर के भीतर टेस्ट पास करना होगा।

(साभार : दैनिक जागरण, 23.10.2019)

सब्सिडी लेने के लिए अब देश में ही बनाना होगा सोलर पैनल

नवीन ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने साफ किया है कि अगर ब्लू वेफर आयातित है और इसे कच्चा माल के तौर पर चिन्हित करके सोलर पैनल का निर्माण किया गया है तो इन्हें घरेलू तौर पर निर्मित सोलर पैनल नहीं माना जाएगा। इन कंपनियों को सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलेगी।

भारत में पूरी तरह से तैयार सोलर पैनल को ही सरकार के कार्यक्रम के तहत शामिल किया जाएगा। इस कदम के साथ ही सरकार ने घरेलू स्तर पर सोलर पैनल बनाने के नाम पर कुछ कंपनियों की गड़बड़ी पर अंकुश का इंतजाम कर लिया है। सौर ऊर्जा बनाने के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से सोलर पैनल के भारत में निर्माण के लिए सरकार की तरफ से काफी प्रोत्साहन दिया जाता है। कुछ कंपनियाँ इस सब्सिडी का फायदा तो उठा रही थी लेकिन पूरी तरह से पैनल का निर्माण भारत में नहीं कर रही थी बल्कि विदेशों से आधी निर्मित सोलर पीवी सेल्स लाती थी और उनसे सोलर पैनल बनाती थी। एमएनआरई ने इस फैसले के साथ यह भी कहा है कि इससे देश में सोलर पैनल निर्माण का काम तेज हो सकेगा। **(साभार : दैनिक जागरण, 22.10.2019)**

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
काष्ठ आधारित उद्योगों के लिये
आम सूचना

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत दिशा-निदेशों के आलोक में बिहार राज्य में काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने/नवीकृत करने/ इनके संचालन को विनियमित करने आदि विषयों पर निर्णय लिए जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार की अध्यक्षता में एक छः सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है।

उक्त राज्य स्तरीय समिति की दिनांक - 26.9.2019 को सम्पन बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है:-

1. काष्ठ आधारित उद्योगों (आरा मिल आदि) की अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु वर्ष 2018 से लंबित मामलों के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिन उद्योगों को वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा पूर्व में अनुज्ञप्ति प्रदान की गयी थी उनकी अनुज्ञप्ति का नवीकरण वर्ष 2016, 2017, 2018 तथा 2019 दिसम्बर तक के लिए विधिवत् शुल्क प्राप्त कर किया जाय।
2. प्लाईवूड-पेस्टिंग की वैसी इकाईयों, जिनके परिसर में आरा मिल या विनियर मिल नहीं है और वे केवल प्लाईवूड निर्माण एवं पेस्टिंग का कार्य करती है जिसके लिए विनियर और चिरान लकड़ी बाहर से प्राप्त किया जाता है, को अनुज्ञप्ति प्राप्त किए जाने से छूट प्रदान की गई है।
3. विनियर मिलों में निजी प्रयोग हेतु अलग से 18" व्यास के आरा मिल लगाने एवं तकनीकी उन्नयन करने अथवा क्षमता विस्तार करने की सशर्त छूट देने का निर्णय लिया गया है।
4. विनियर मिलों एवं प्लाईवूड-पेस्टिंग उद्योगों का स्थान परिवर्तन करने के संबंध में निर्णय लिया गया कि ऐसी इकाईयों द्वारा स्थान परिवर्तन हेतु आवेदन दिये जाने पर वांछित जाँच के उपरांत 30 दिनों के भीतर इसका निष्पादन वाध्यकारी होगा। आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन की एक प्रति नये स्थल से संबंधित वन प्रमंडल में भी दी जाएगी।
5. आरा मिलों में तकनीकी उन्नयन एवं क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त उपकरण लगाने के संबंध में निर्णय लिया गया है कि वैसे आरा मिल जिनके पास केवल एक बैण्ड साँ है एवं वे इसमें एक ट्रॉली लगाना चाहते हैं तो वे इसकी सूचना अपने अनुज्ञापन पदाधिकारी को देकर ऐसा कर सकेंगे।

समिति की कार्यवाही की विस्तृत जानकारी विभागीय वेवसाईट-forest. bin.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव
(साभार : दैनिक जागरण, 25.10.2019)

घर की छत पर लगाएँ सोलर, 65% अनुदान देगी सरकार, अगले महीने से होने लगेगा आवेदन

राज्य में सोलर से बिजली उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत घरों के छत पर सोलर लगाकर उत्पादन होने वाली बिजली का घरेलू उपयोग करने वाले बिजली उपभोक्ताओं को सरकार 65 प्रतिशत अनुदान दे रही है।

इसके लिए राज्य सरकार के निर्देश पर ब्रेडा ने सोलर बनाने व लगाने वाली एजेंसी का चयन करने के लिए निविदा निकाला है। इस महीने के अंततक एजेंसी चयन करने का लक्ष्य रखा गया है। एजेंसी चयन होने के बाद घर के छत पर सोलर लगाने के लिए इच्छूक बिजली उपभोक्ताओं का ऑनलाइन आवेदन जमा लिया जाएगा। यह कार्य नवम्बर से शुरू होने की उम्मीद है। आवेदन जमा करने वाले उपभोक्ताओं के छत का निरीक्षण करने के बाद सोलर लगाने की अनुमति मिलेगी।

लगेगा नेट बिजली मीटर, होगा उत्पादन व खपत का हिसाब : • ग्रिड युक्त सोलर लगाने वाले उपभोक्ताओं के घरों में सामान्य इलेक्ट्रॉनिक बिजली मीटर को हटाकर नेट बिजली मीटर लगाया जाएगा। इस बिजली मीटर से जानकारी मिलेगी कि सोलर से उत्पादन होने वाली बिजली ग्रिड को कितना गयी और आपने बिजली का कितना खपत किया। • यदि आपके छत पर लगे सोलर से 300 यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ। इसमें से 200 यूनिट आपने खपत कर लिया है तो 100 यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास आपका बिजली जमा रहेगा। • अगले महीने में सोलर से 300 यूनिट बिजली उत्पादन हुआ। 350 यूनिट आपने खपत कर लिया तो पिछले महीने के जमा यूनिट में 50 यूनिट घट जाएगा। • 31 मार्च को फाइनल हिसाब होगा। यदि आपके सोलर से उत्पादन होने वाले बिजली से आपके द्वारा खपत कम किया गया तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कोई पैसा नहीं देगी। यदि उत्पादन से अधिक खपत है तो पैसा लेगी। यानी 31 मार्च को वायलेंस शीट हर हाल में शून्य किया जाएगा।

ऐसे मिलेगा अनुदान : • राज्य सरकार ने ब्रेडा को 5 मेगावाट का सोलर प्लेट लगाने की अनुमति दी है। यानी 5000 किलोवाट का सोलर प्लेट घर के छत पर लगाने की योजना है। • 1 से 3 किलोवाट का सोलर प्लेट लगाने वाले उपभोक्ता को-केन्द्र सरकार 40 प्रतिशत और राज्य सरकार 25 प्रतिशत अनुदान देगी। • 4 से 10 किलोवाट का सोलर प्लेट लगाने वाले उपभोक्ता को - केन्द्र सरकार 20 प्रतिशत और राज्य सरकार 25 प्रतिशत अनुदान देगी। • एक किलोवाट सोलर प्लेट की संभावित कीमत 54 हजार रुप्ए है। • पाँच साल तक एजेंसी मेंटेनेंस करेगी। • आप बिजली का कनेक्शन जितने किलोवाट का लिए है उतने से अधिक किलोवाट का सोलर प्लेट नहीं लगा सकते हैं। यानी 4 किलोवाट का कनेक्शन लिए है तो आपके घर के छत पर एक किलोवाट से चार किलोवाट के बीच का सोलर प्लेट लगेगा। • इसका उदेश्य उत्पादन करना नहीं, स्वयं के खपत के अनुरूप उत्पादन करना है।

देना होगा फिक्स चार्ज : सोलर प्लेट लगाने वाले उपभोक्ताओं को बिजली खपत की जाने वाली यूनिट का बिल नहीं देना होगा। केवल मीटर रेंट, फिक्सचार्ज, इलेक्ट्रिक ड्यूटी हर महीने जमा करना है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 19.10.2019)

धीमी गति में ही सही, बढ़ रहा निजी निवेश

• तीन बड़े प्रस्तावों पर टिकी है नजरें ई-वाहन निर्माताओं से भी उम्मीद • औद्योगिकीकरण का माहौल बनाने में मददगार खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ • जमीन संकट दूर करने को चिह्नित हो रहे बिना उपयोग पड़े भूखंड

बिहार सरकार ने बड़ी उम्मीद से 2016 में नई उद्योग प्रोत्साहन नीति लागू की। उम्मीद जताई गई थी कि नई नीति बड़े निवेशकों को आकर्षित करने में कामयाब होगी। मगर उम्मीद के मुताबिक निजी निवेशक प्रदेश में नहीं आ सके, मगर यह भी नहीं कहा जा सकता कि स्थिति बहुत खराब रही है। पिछले तीन-चार वर्षों में आए निजी निवेश के जो प्रस्ताव आए उनके माध्यम से धीरे-धीरे ही सही, मगर प्रदेश में उद्योग इकाइयाँ लग रही हैं। सबसे अधिक खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयाँ अस्तित्व में आई हैं जिनके माध्यम से सबसे अधिक निजी निवेश प्रदेश में हुआ है। पेश है निजी निवेश की स्थिति पर प्रकाश डालती एस. ए. शाद की रिपोर्ट....।"

पिहले कुछ सालों से राज्य सरकार ने निजी निवेश को लेकर अपनी रणनीति बदली है। बड़े उद्योग घरानों को प्रदेश में आकर निजी निवेश करने के लिए आमंत्रित करने के साथ-साथ छोटे निवेशकों पर भी सामान रूप से ध्यान देने की पहल ने बेहतर नतीजे देने शुरू कर दिए हैं। करीब तीन वर्ष पहले नई

उद्योग प्रोत्साहन नीति लागू की गई थी और तब से लेकर अबतक 14,000 करोड़ से अधिक के निजी निवेश के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है।

नई नीति के जरिए प्रस्तावों को मंजूरी देने की प्रक्रिया सरल की गई है। सिंगल विंडो सिस्टम को सुदृढ़ करने, विभिन्न औपचारिकता पूरी करने के लिए मात्र एक फार्म भरने, प्रमाण-पत्र की जगह स्वप्रमाणित पत्र देने जैसी पहल के नतीजे में 2016 में 5,794 करोड़ रुपये के निजी निवेश के प्रस्ताव आए। हालांकि इससे पहले 2015 में 1247 करोड़ रुपये और 2014 में 1449 करोड़ रुपये के ही प्रस्ताव आए थे।

धीमी गति से सरजमीन पर उतर रहे प्रस्ताव : निजी निवेश के लिए आए प्रस्तावों के सरजमीन पर उतरने की रफ्तार हालांकि अपेक्षा से कम रही है। 2016 में 5,794 करोड़ के प्रस्तावों में से करीब 606 करोड़ के प्रस्ताव सरजमीन पर आ सके, जबकि अगले वर्ष इससे आधे का ही निजी निवेश हो सका। उद्योग विभाग के आंकड़ों के मुताबिक मात्र 288 करोड़ का ही निजी निवेश हो पाया। मगर अगले वर्ष फिर बेहतर स्थिति सामने आई। 2018 में लगभग 995 करोड़ रुपये की उद्योग इकाइयाँ प्रदेश में लगीं।

तीन बड़े निवेश की उम्मीद : उद्योग विभाग ने तीन बड़ी कंपनियों से करीब 12,000 करोड़ के निवेश की आशा पाल रखी है। दो वर्ष पूर्व दिल्ली में हुए एक एक्सपो में कोलकाता की इमामी कंपनी, आइटीसी और दुबई की अल-सहरा ने इस निवेश का प्रस्ताव तत्कालीन उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह के समक्ष रखा था। इमामी कंपनी प्रदेश में हर वर्ष करीब 1000 करोड़ के वनस्पति तेल की बिक्री करती है। इस कंपनी ने प्रदेश में अपनी इकई लगाने की इच्छा जताई है। वहीं, आइटीसी बिस्कुट, दूध के उत्पादों के अलावा फूड पार्क की स्थापना की इच्छा जताई है। दुबई की अल-सहरा कंपनी ने 'लाजिस्टिक पार्क' की स्थापना का प्रस्ताव रखा है, जिसके लिए 1500 एकड़ जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। उद्योग विभाग अल-सहरा को इतनी जमीन उपलब्ध कराने का भरोसा दे चुका है। परन्तु, इन कंपनियों की ओर से अभी तक इन प्रस्तावों को लेकर गंभीर पहल नहीं हुई है। इसके अलावा, उद्योग विभाग ई-वाहनों के निर्माताओं को भी प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहा है। सूजूकी, हाँडा सहित करीब एक दर्जन कंपनियों के प्रतिनिधि के साथ पिछले वर्ष उद्योग विभाग ने बैठक भी आयोजित की थी। वस्त्र उद्योग के मोर्चे पर भी पहल हुई है। पिछले वर्ष जलंधर एवं लुधियाना के वस्त्र निर्माताओं के साथ उद्योग विभाग ने कई बैठकें कीं। इन वस्त्र निर्माताओं को उनकी इच्छा के अनुरूप डेहरी आन सॉन में जमीन देने का भरोसा दिलाया गया है। ये बिहार में करीब एक हजार करोड़ रुपये निवेश करने की इच्छुक हैं। वैसे, इनकी ओर से आगे फिर पहल नहीं हो सकी है। उद्योग विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इस वर्ष चुनाव के कारण इन वस्त्र निर्माताओं ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई है। उनसे एक बार फिर संपर्क किया जा रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयों से सबसे अधिक निवेश : नई नीति लागू होने के बाद से अबतक सबसे अधिक 486 खाद्य प्रसंस्करण के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनके माध्यम में 2805 करोड़ रुपये का निवेश होना है। इनमें से करीब पचास प्रतिशत इकाइयाँ अस्तित्व में आ चुकी हैं। वर्ष 2018 में अकेले फूड प्रोसेसिंग के 262 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई, जिससे कुल 1310 करोड़ का निवेश होना है। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश उद्योग विभाग के छोटे निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भी रूचि दिखाने का नतीजा है। प्रदेश में सबसे अधिक राइस मिल लगाए गए हैं।

उद्योग लगाने के लिए दूर की जा रही जमीन की कमी : उद्योग लगाने के लिए जमीन के संकट को दूर करने की भी पहल हुई है। इसके लिए औद्योगिक क्षेत्रों में बिना उपयोग में लाए गए भूखंडों की जाँच का निर्णय लिया गया है। जाँच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की तीन सदस्यीय समिति भी गठित की गई है। यह निर्णय लिया गया है कि जिन उद्यमियों को उद्योग इकाई लगाने के लिए पहली सितम्बर, 2016 से पहले तक भूखंड आवंटित किए गए हैं उनकी सूची तैयार की जाए। साथ ही इस बात की भी जाँच की जाए कि इनमें से कितने उद्यमियों ने आवंटित जमीन का उपयोग किया है। अगर उन्होंने इसका अबतक उपयोग नहीं किया है तो उनका आवंटन रद किया जाएगा। पहली सितम्बर, 2016 के बाद आवंटित किए गए भूखंडों की जाँच की जाएगी। उद्यमियों से कहा गया है कि वे अपने डीपीआर और बैंक एप्रेजल रिपोर्ट में भूमि का स्पष्ट उल्लेख करें। जिन उद्यमियों ने अपनी इकाई लगा रखी है उनसे यह शपथ पत्र मांगा गया है कि उन्होंने कितने भूभाग पर अपनी इकाई स्थापित की है।

पाँच माह के ब्रेक के बाद फिर साक्रिय हुआ उद्योग विभाग : लोकसभा चुनाव के कारण निजी निवेश के मोर्चे पर इस साल करीब पाँच माह का ब्रेक लग गया। उद्योग इकाइयाँ लगाने के लिए आने वाले प्रस्तावों को मंजूरी देने का सिलसिला फरवरी, 2019 से बंद था। इसे जुलाई में एक बार फिर आरंभ किया गया है। राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (एसआईपीबी) ने पिछले दो माह में दो बैठकों में 164 प्रस्तावों को हरी झंडी दी है। इनमें भी अधिकांश खाद्य प्रसंस्कण की इकाइयाँ लगाने के प्रस्ताव हैं। इन्हें स्टेज-1 क्लीयरेंस दिया गया है। प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए मुख्य रूप से दो स्टेज हैं। आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी करने पर पहले चरण की स्वीकृति दी जाती है। इसके पश्चात नई नीति के तहत प्रोत्साहन राशि, इंटेरेस्ट सब्सिडी आदि के लिए स्टेज-2 की क्लीयरेंस मिलती है।

(साभार : दैनिक जागरण, 7.10.2019)

बिजली की शिकायत हेतु पहला कॉल हेल्पलाइन को करें, नहीं हो समाधन तो अफसरों को लगाएँ

• पेसू हेल्पलाइन : 1912, पेसू कंट्रोल रूम : 0612-2280024, 2280014 • पश्चिमी पटना के अधीक्षण अभियंता : 7763814049 • न्यू कैपिटल कार्यपालक अभियंता : 7763814091 • दानापुर कार्यपालक अभियंता : 7763814069 • डाकबंगला कार्यपालक अभियंता : 773814060 • पाटलिपुत्र कार्यपालक अभियंता : 7763814104 • गर्दनीबाग कार्यपालक अभियंता : 7763814082 • खगौल कार्यपालक अभियंता : 7369021632 • पूर्वी पटना के अधीक्षण अभियंता : 7763814116 • राजेन्द्र नगर डिविजन के कार्यपालक अभियंता : 7763814171 • बांकीपुर डिविजन के कार्यपालक अभियंता : 7763814127 • गुलजारबाग डिविजन के कार्यपालक अभियंता : 7763814136 • कंकड़बाग डिविजन के कार्यपालक अभियंता : 7763814145 • पटना सिटी डिविजन के कार्यपालक अभियंता : 7763814159 • कंकड़बाग टू डिविजन के कार्यपालक अभियंता : 7763813956 • पेसू जीएम : 7763814048

(साभार : दैनिक भास्कर, 19.10.2019)

बिजली कटौती पर मिलेगा हर्जाना

केन्द्र सरकार यह नियम लागू करने जा रही है कि बिजली में कटौती होने पर उपभोक्ताओं को उसका हर्जाना मिले। हर्जाना की राशि उपभोक्ता के बैंक खाता में जाएगी। 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था की जा रही है और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि वे लोड शेडिंग नहीं करेंगे। केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर. के. सिंह ने दिनांक 18.10.2019 को औरंगाबाद के प्रधान डाकघर में पासपोर्ट सेवा केन्द्र के उद्घाटन के मौके पर ये बातें कही।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 19.10.2019)

साइनबोर्ड, नेमप्लेट हटाने पर रोक

कार्रवाई याचिका पर सुनवाई के दौरान
हाईकोर्ट ने पटना नगर निगम से मांगा जवाब

दुकान परिसर में लगे हुए साइनबोर्ड व नेमप्लेट हटाये जाने के पटना नगर निगम के आदेश पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ-साथ कोर्ट ने नगर निगम से जवाब किया है। न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने एक रिट याचिका की सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। हालांकि एकलपीठ ने अपने आदेश में यह साफ किया कि दुकान व व्यावसायिक प्रतिष्ठान के परिसर से बाहर अथवा सड़क व फुटपाथ पर लगाये गए साइनबोर्ड व नेमप्लेट हटाने की निगम की करवाई पर यह रोक प्रभावी नहीं होगी। नगर निगम वैसे साइनबोर्ड व नेमप्लेट को विज्ञापन करार देते हुए कानूनी कार्रवाई कर सकता है। कोर्ट के इस आदेश से शहर के हजारों दुकानदारों को राहत मिली है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि दुकान परिसर में लगाए गए साइन बोर्ड तथा नेम प्लेट को नगर निगम ने फौरन हटाने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि बिहार नगरपालिका कानून के तहत दुकान परिसर में लगाए गए साइन बोर्ड तथा नेम प्लेट पर किसी प्रकार का करवाई करने का कोई प्रावधान नहीं है।

वहीं निगम के वकील का कहना था कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 147 के तहत दुकान का साइन बोर्ड तथा नेम प्लेट विज्ञापन की श्रेणी में आता है, जिसपर टैक्स लेने का प्रावधान है। इसलिए निगम की कार्रवाई विधिसम्मत है।

कोर्ट ने कहा कि दुकान परिसर में लगाए गए साइन बोर्ड तथा नेम प्लेट को निगम नहीं हटा सकता है क्योंकि वह एक निश्चित दुकान या व्यवसायिक प्रतिष्ठान की पहचान है। दुकान परिसर के बाहर लगाए गए साइन बोर्ड तथा नेम प्लेट विज्ञापन की श्रेणी में आ सकते हैं और वैसे साइनबोर्ड या नेमप्लेट पर टैक्स नहीं भरे जाने की स्थिति में कार्रवाई की जा सकती है।

(साभार : दैनिक जागरण, 15.10.2019)

पान मसाला कंपनियों के लाइसेंस होंगे रद

प्रदेश में 15 अलग-अलग ब्रांड के पान मसालों को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के बाद अब राज्य सरकार इन मसाला कंपनियों का लाइसेंस रद कराने की तैयारी में है। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को एक पत्र जारी कर मसालों में हानिकारक निकोटिन और मैग्नीशियम कॉरबोनेट पाए जाने का हवाला देकर संबंधित कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल करने का आग्रह किया है।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 14.10.2019)

राज्य के ईंट-भट्ठा मालिकों/संचालकों के लिए

आवश्यक सूचना

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा वाद संख्या - 15962 / 2018 में दिनांक- 4.12.2018 को पारित आदेश के अनुसार नये सत्र में मात्र स्वच्छतर तकनीक में सम्परिवर्तित ईंट भट्ठों को ही संचालन की अनुमति दी जायेगी।

स्वच्छतर तकनीक द्वारा ईंटों के निर्माण में-

- ईंधन (कोयले) की खपत में कमी होती है;
- ईंटों की गुणवत्ता में सुधार होता है तथा उत्तम श्रेणी के ईंटों के उत्पादन में वृद्धि होती है;
- चिमनी उत्सर्जन में कमी आती है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

(साभार : प्रभात खबर, 7.10.2019)

WHY DO WE NEED TO LEARN ENTREPRENEURSHIP

Nitin Potdar on how draft National Education Policy offers provisions for entrepreneurship education but fails to provide any roadmap for implementation **(Detail : Times of India, 14.10.2019)**

उत्तरी व दक्षिणी बिहार में स्थापित होंगे इ-वेस्ट रीसाइक्लिंग प्लांट

राज्य में सालाना 500 टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है जमा

राज्य सरकार उत्तरी और दक्षिणी बिहार में एक-एक स्थान पर इ वेस्ट (इलेक्ट्रॉनिक कचरा) के रीसाइक्लिंग प्लांट स्थापित करने जो रही है। इसके लिए सरकारी एजेंसियाँ राज्य के दोनों भौगोलिक क्षेत्रों में जमीन तलाश रही हैं। उम्मीद जतायी जा रही है कि इसी वित्तीय वर्ष में रीसाइक्लिंग प्लांट स्थापना के लिए हरी झंडी मिल जायेगी। यह निर्णय शासन स्तर पर उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया है। जानकारी हो कि बिहार में सालाना करीब 500 टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा एकत्रित किया जाता है। इसमें अकेले पटना शहर की हिस्सेदारी सालाना 300 टन की है। हालांकि, इसका कई गुना इ-वेस्ट खुले में पड़ा रह जाता है। खुले में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कचरा बिहार के छोटे-छोटे कस्बों में होता है। इसके घातक असर सरकारी और गैर सरकारी सर्वे में सामने आये हैं। फिलहाल हालिया एक उच्चस्तरीय बैठक में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के दो रीसाइक्लिंग प्लांट स्थापित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को जमीन तलाशने के लिए कहा गया है। रीसाइक्लिंग प्लांट ऐसे इलाके में स्थापित किये जायेंगे, जहाँ की आबादी पर उसका दुष्प्रभाव न पड़े।

सूबे में 141 इलेक्ट्रॉनिक कचरा संग्रह केन्द्र : वर्तमान में पूरे प्रदेश में 141 इलेक्ट्रॉनिक कचरा संग्रह केन्द्र हैं। ये विभिन्न मोबाइल एवं टेलीविंजन कंपनियों के हैं। इन सेंटर्स में अधिकतर गायब हैं। केवल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उनकी सूची सौंप दी गयी। हकीकत में ये सेंटर काम नहीं कर रहे हैं। अभी कंपनियाँ अपनी तरफ से एकत्रित कचरे को अपने-अपने रीसाइक्लिंग सेंटर्स को भेजती हैं। ये सभी सेंटर्स नोएडा व दक्षिण भारत के कुछ शहरों में स्थापित है।

(साभार : प्रभात खबर, 14.10.2019)

प्रदूषण प्रमाण-पत्र देने में बिहार आगे निकला

वाहनों के प्रदूषण की जाँच को ले बिहार में इन दिनों सजगता दिख रही। सभी तरह के वाहनों के लिए पाल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य किया गया है। पिछले माह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पीयूसी को लेकर जो नया आंकड़ा जारी किया है उसमें बिहार ने कई विकसित राज्यों को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र जैसे राज्य की तुलना में भी बिहार काफी आगे है। कई राज्यों ने इस बार में अपनी रिपोर्ट अभी तक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजी ही नहीं है।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 21.10.2019)

चीनी मिल की 2200 एकड़ जमीन उद्योगों के लिए लीज पर दी जाएगी

बंद पड़ीं 12 चीनी मिलों की जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र बसाने की योजना अंतिम चरण में

गन्ना विकास मंत्री बीमा भारती ने कहा कि राज्य की बंद पड़ी चीनी मिल की 2200 एकड़ जमीन अब बिकेगी नहीं बल्कि उद्योगों के लिये लीज पर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट के संशोधन प्रस्ताव में बिक्री की जगह लीज शब्द जोड़ने का निर्णय लिया गया है। राज्य की बंद पड़ी 12 चीनी मिलों की जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र बसाने की योजना अंतिम चरण में है।

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) को राज्य की 12 बंद चीनी मिलों की 2200 एकड़ जमीन दी जा रही है। राज्य में उद्योग लगाने के लिए जमीन की कमी है। निवेशकों को आकर्षित करने बंद चीनी मिलों की जमीन उन्हें दी जाएगी। चीनी मिलों में सर्वाधिक जमीन मुजफ्फरपुर जिले की मोतीपुर चीन मिल के पास है। इसका क्षेत्रफल करीब 900 एकड़ है। इन चीनी मिलों की जमीन फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, चमड़ा उद्योग समेत अन्य कई इकाइयों को दी जा सकती है। आईटीसी और ब्रिटानिया मोतीपुर चीन की जमीन पहले से मांग रहीं है। दोनों कंपनियाँ 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर सकती हैं।

बिहार राज्य चीनी निगम की 8 इकाइयों यथा लोहट, हथुआ (डिस्टलरी), बनमंखी, वारिसलीगंज, सीवान, न्यू सावन, गोरौल और गुरारू है। वहीं सकरी, सुगौली, मोतीपुर और बिहटा चीनी मिल के साथ फार्म लैंड भी है।

चीनी मिलों के पास जमीन

इकाई	जिला	एकड़	बनमनखी	पूर्णिया	118
मोतीपुर	मुजफ्फरपुर	897	हथुआ	गोपालगंज	105
बिहटा	पटना	593	वारिसलीगंज	नवादा	73
सुगौली	पूर्वी चंपारण	55	गोरौल	वैशाली	54
सकरी	मधुबनी	47	गुरारु	गया	27
लोहट	मधुबनी	213	सीवान	सीवान	32

(साभार : दैनिक भास्कर, 26.10.2019)

औद्योगिक कार्यों में जल उपयोग पर काबू जरूरी

पानी की औद्योगिक मांग बढ़ने के साथ भारत को अब जलापूर्ति ढांचे में निवेश करना होगा ताकि पानी को लेकर टकराव और उद्योग बंदी की स्थिति से बचा जा सके।

(विस्तृत : बिजनेस स्टैंडर्ड, 26.9.2019)

GOVT MULLS SINGLE REGULATOR FOR DRUGS, FOOD & MEDICAL DEVICES

The government is mulling a single overarching watchdog - similar to US Food and Drug Administration (US FDA) - to oversee functioning of three regulators of food, drugs and medical devices. The move is aimed at streamlining regulatory structure while ensuring transparency, effective monitoring as well as ease of doing business.

At present both medicines and medical devices are regulated by the Central Drugs Standard Control organisation (CDSCO), whereas food along with nutraceuticals are monitored by the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI). Both CDSCO and FSSAI heads report to a joint secretary in the health ministry.

Government think-tank NITI Aayog has floated a proposal suggesting a separate third vertical for regulating medical devices similar to CDSCO and FSSAI. It has also recommended that instead of reporting to a JS, all the three verticals can be supervised by FDA India head who will be an IAS officer of the rank of additional secretary in the health ministry, official sources said.

(Detail : Times of India, 31.10.2019)

अब सूबे के किसी भी जिले से कराएँ वाहनों का रजिस्ट्रेशन

आम लोगों की सहूलियत के लिए परिवहन विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब कोई भी वाहन खरीदने वाला व्यक्ति बिहार के किसी भी जिले से अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन करा सकता है। वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उस जिले का निवासी होना अनिवार्य नहीं होगा। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि यह नई व्यवस्था एक सितम्बर से लागू की जा रही है। लोगों की सहूलियत के लिए ऐसी व्यवस्था की जा रही है। जिस किसी भी जिले से वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं आसानी से करा सकते हैं। इससे परिवहन विभाग के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

यह मिलेगा फायदा : इस व्यवस्था से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कई बार लोगों को अच्छे नंबर चाहिए, जो एक जिले में तो उपलब्ध है लेकिन अन्य जिलों उपलब्ध नहीं हो पाता है। अब पूरे बिहार में जो भी पसंद के नंबर हैं वे आसानी से मिल सकेंगे। कई छोटे जिलों में गाड़ियाँ कम क्रय होने के कारण अच्छे नंबर की उपब्धता होती है। लोग किसी भी नंबर की प्राप्ति के लिए अन्य जिलों में भी वाहनों का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

पहले लोग गलत पता देकर दूसरे जिलों से वाहन का रजिस्ट्रेशन करा लेते थे। ऐसी स्थिति में ई चालानिंग होने पर कभी भी उनके पते पर नहीं पहुँच पाता था। वाहन मालिक को ढूंढ़ने में परेशानी होती थी। कई बार अपराध की घटनाओं के बाद उस व्यक्ति को ढूंढ़ना मुकिल हो जाता था। इससे फर्जी पते पर लगाम लगेगी। **(विस्तृत : राष्ट्रीय सहारा, 30.8.2019)**

बिहार में 230 मिलियन टन कोयले का भंडार मिला

• 230 मिलियन टन का है भंडार, बीसीसीएल करेगा उत्खनन • पास के मिर्जापुर गाँव में भी तीन-चार सौ मिलियन टन कोयला भंडार की संभावना • उच्च कोटि का जी- 12 ग्रेड का कोयला है जमीन के अंदर

बिहार में पहली बार कोयले का बड़ा भंडार मिला है। भागलपुर के पीरपैंती के पास मंदार गाँव में 230 मिलियन टन कोयला मिला है। उत्खनन का काम 2026 से शुरू हो जाएगा। प्रति वर्ष 60 मिलियन टन कोयले का खनन हो सकता है। जिम्मेवारी बीसीसीएल को सौंपी गई है। उत्पादन के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। पास के गाँव मिर्जापुर में भी खुदाई हो रही है। वहाँ भी करीब तीन-चार सौ मिलियन टन कोयला मिलने का अनुमान है।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 26.9.2019)

गैसीफायर आधारित चावल मिलें नहीं लगेंगी

योजना एक नजर में : • 91 यूनिट बिजली वाली चावल मिलों का निर्माण होगा • 402 चावल मिलें गैसीफायर वाली • 61 मिलों में ड्रायर की व्यवस्था • 17 मिलों में ड्रायर लग रहे।

राज्य सरकार ने वर्ष 2012 में गैसीफायर से चलने वाली चावल मिलों की स्थापना शुरू की थी। उस वक्त बिजली की कमी थी। लेकिन अब राज्य में बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। गाँवों तक इसकी पहुँच हो गई है। लिहाजा सरकार ने इस वर्ष के लिए चयनित सभी 91 चावल मिलों को बिजली आधारित बनाने का फैसला किया है। गैसीफायर वाली मिलों की चावल कूटने की क्षमता एक टन ही थी। नई व्यवस्था में बिजली आधारित मिलों की क्षमता दूनी कर दी गई है। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 30.9.2019)**

Ministry of Finance

GSTR-9 & GSTR -9C more simplified & last dates of submission extended

Posted on: 14 NOV 2019 3:32PM by PIB Delhi

The Government has decided today to extend the due dates of filing of Form GSTR-9 (Annual Return) and Form GSTR-9C (Reconciliation Statement) for Financial Year 2017-18 to 31st December 2019 and for Financial Year 2018-19 to 31 st March 2020. The Government has also decided to simplify these forms by making various fields of these forms as optional.

Central Board of Indirect Taxes &Customs (CBIC) today notified the amendments regarding the simplification of GSTR-9 (Annual Return) and GSTR-9C (Reconciliation Statement) which interalia allow the taxpayers to not to provide split of input tax credit availed on inputs, input services and capital goods and to not to provide HSN level information of outputs or inputs, etc. for the financial year 2017-18 and 2018-19.

CBIC expects that with these changes and the extension of deadlines, all the GST taxpayers would be able to file their Annual Returns along with Reconciliation Statement for the financial years 2017-18 and 2018-19 in time. Various representations regarding challenges faced by taxpayers in filing of GSTR-9 and GSTR-9C were received on which by the Government has acted in a very responsive manner.

It may be noted that earlier the last date for filing of GSTR-9 and GSTR-9C for Financial Year 2017-18 was 30 th November 2019 while that for Financial Year 2018-19 was 31 st December 2019. Notifications implementing the decisions as above have been issued today.

****

RM/KMN

(Release ID: 1591576)

मोबाइल नंबर रहेगा अपडेट

परिवहन विभाग ने वाहन चालकों के लिए नया नियम लागू किया है। इसके तहत अगर मोबाइल नंबर विभाग की वेबासाइट पर निर्बंधित रहेगा, तो विभाग की सभी जानकारियाँ वाहन मालिक को मिलती रहेंगी। निर्बंधित नंबर को अपडेट करने के लिए डीटीओ के ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। यह काम कोई भी व्यक्ति घर बैठे कर पायेगा। सचिव ने कहा कि विभाग की वेबसाइट पर वाहन मालिकों का नंबर निर्बंधित होने पर फिटनेस, बीमा, प्रदूषण आदि खत्म होने के पहले ही मोबाइल पर मैसेज कर वाहन मालिक को सूचित कर दिया जायेगा, साथ ही कहीं इ-चालान कटेगा, तो उसकी जानकारी मोबाइल पर मिल जायेगी।

ऐसे करें नंबर अपडेट, मिलेगी जानकारी : • परिवहन विभाग की वेबसाइट parivahan.gov.in/parivahan पर लॉग इन करें। • इसके बाद वाहन संबंधित ऑनलाइन सेवाओं के लिए चयन करें • अन्य स्टेट (दूसरे राज्य विकल्प पर क्लिक करें)। • अपने राज्य के चयन करने के बाद निबंधन नंबर पर अपने वाहन का नंबर लिखें। • मोबाइल नंबर अपडेट पर क्लिक करे। • वाहन इंजन नंबर और चेसिस नंबर लिखें। • मोबाइल नंबर डाले। • इसके बाद संबंधित मोबाइल नंबर पर ओटीपी आयेगा। • ओटीपी को उसमें लिखें, इसके बाद नंबर अपडेट हो जायेगा। **(साभार : प्रभात खबर, 24.10.2019)**

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

हर सफर का हमसफर.....
अब पायें गाड़ियों के लिए मनचाहा नंबर।
परिवहन विभाग की बड़ी पहल

मोटर वाहनों के फैंसी और च्वाइस नंबर के लिए बिहार में शुरू हुई ऑनलाइन बुकिंग

फैंसी नंबर : • फैंसी नंबर :- 0001, 9999, 0007, 0786 आदि परिवहन विभाग द्वारा चिन्हित किए गए हैं 633 नंबर हर दिन रात 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक करें • रजिस्ट्रेशन एवं 1 बजे से शाम 5 बजे तक लें नीलामी में भाग। • एक से अधिक दावेदार होने पर लगेगी बोली। • नंबर तीन माह तक उपयोग किया जा सकता है।

च्वाइस नंबर : • फैंसी नंबर के अतिरिक्त कोई भी मनपसंद नंबर हो सकता है च्वाइस नंबर • किसी भी दिन और कभी भी कर सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। • "पहले आओ पहले पाओ" के तर्ज पर मिलेगा नंबर। • कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं। • एक माह के अंदर नंबर के लिए गाड़ी खरीदी जा सकती है।

फैंसी नंबर की नीलामी में भाग लेने के लिए क्या लगेगा शुल्क : • नीलामी में भाग लेने वाले वाहन मालिक को एक हजार रुपए पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा। • यह शुल्क नन रिफंडेबल होगा। • एक से अधिक फैंसी नंबर के लिए अलग-अलग पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा।

अधिक जानकारी के लिए Vahan.parivahan.gov.in/fancy पर करें संपर्क

(Source : Inext, 25.10.2019)

समस्तीपुर-सहरसा रेलखंड पर मेमू ट्रेनों के परिचालन को हरी झंडी

समस्तीपुर-सहरसा रेलखंड पर मेमू ट्रेनों के परिचालन के लिए हरी झंडी मिल गयी है। परिचालन विभाग की ओर से डेमू ट्रेनों का परिचालन का इस रूट पर किया जा रहा था। जानकारी के अनुसार, मेमू ट्रेनों के परिचालन को लेकर मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही मेमू रैक को इसे समस्तीपुर जंक्शन को उपलब्ध कराया जायेगा। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 13.10.2019)**

जनवरी तक 6 और हवाई अड्डों का होगा निजीकरण

केन्द्र सरकार ने अगले साल जनवरी तक भुवनेश्वर, इंदौर, त्रिशी, अमृतसर, रायपुर और वाराणसी हवाईअड्डों के निजीकरण का फैसला किया है। इन 6 हवाईअड्डों को बेचने के लिए मसौदा प्रस्ताव कैबिनेट नोट के माध्यम से जारी किया गया है और दिसम्बर के पहले सप्ताह में इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 30.10.2019)**

एक दिसम्बर से सभी एनएच पर वन नेशन-वन फास्टैग

एक दिसम्बर से सभी राष्ट्रीय राजमागों पर वन नेशन-वन फास्टैग की सुविधा उपलब्ध होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) सभी राजमार्गों पर स्थित टोल प्लाजा के सभी लेन को फास्टैग से लैस कर रहा है। इस सुविधा के बहाल हो जाने के बाद अब वाहन चालको को राष्ट्रीय राजमागों पर स्थित टोल प्लाजा पर टोल चुकाने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। केन्द्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि अभी देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल 527 टोल प्लाजा हैं, जिसमें से 380 टोल प्जाला के सभी लेन फास्टैग से लैस हैं। बाकी पर भी कार्य जारी है। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 16.10.2019)**

कर-सलाह

प्रश्न : वरिष्ठ नागरिक को सावधि जमा (एफडी) से प्राप्त ब्याज पर 50 हजार रुपये तक का आयकर छूट प्राप्त है। क्या सामान्य लोगों की तरह बचत खाता से प्राप्त सालाना ब्याज से 10 हजार रुपये तक की आयकर छूट का लाभ भी वरिष्ठ नागरिक ले सकता है। अर्थात दोनों छूट अलग- अलग पाने के हकदार है या नहीं?

उत्तर : जी नहीं। वरिष्ठ नागरिक को ब्याज पर कुल 50 हजार रुपये तक की छूट में बैंक, डाकघर, को-आपरेटिव बैंक से प्राप्त एफडी व बचत खाते से प्राप्त ब्याज पर प्राप्त होती है।

प्रश्न : मैंने एक टर्म इंश्योरेंस प्लान एक करोड़ का लिया है। इस प्लान के तहत मुझे 10 किश्तों में 5 साल तक भुगतान करना होगा। ऐसे में मुझे यह जानना है कि नॉमिनी को बीमा राशि की प्राप्ति के समय क्या कर दायित्व आएगा?

उत्तर : आयकर की धारा 10 (10डी) के अनुसार नॉमिनी द्वारा बीमा पॉलिसी से प्राप्त मृत्यु का दावा राशि पूरी तरह से कर मुक्त है।

प्रश्न : मेरे पुत्र ने जीवन बीमा पॉलिसी ली थी जब वह भारत का निवासी था। वर्तमान मे वह एनआरआई है और अमेरिका में रह रहा है। अगर वह अमेरिका का नागरिक बन जाता है तो उसका स्टेटस क्या रहेगा।

उत्तर : आपके पुत्र ने भारत में रहते हुए अपनी बीमा पॉलिसी ली थी परन्तु अब वह अनिवासी भारतीय है। अनिवासी होने की अवस्था में उसकी पॉलिसी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अपनी बीमा कंपनी को संपूर्ण स्थिति से अवगत करावें तथा आपका पुत्र वहाँ रहते हुए अपनी बीमा किस्त का भुगतान समय से करता रहे। (साभार : हिन्दुस्तान, 30.9.2019)

प्रश्न : मैं पुत्र को एक बड़ी राशि उसकी पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए देना चाहता हूँ। क्या इसके लिए गिफ्ट डीड रजिस्टर कराना अनिवार्य है? क्या आयकर विभाग को इसकी सूचना या टैक्स देना होगा?

उत्तर : नकद या चेक द्वारा दिया गए उपहार के लिए साधारणतया गिफ्ट डीड की अनिवार्यता नहीं होती है। इसे एक प्लेन पेपर पर दो गवाहों के हस्ताक्षर के साथ लिख कर दिया जा सकता है। पिता द्वारा पुत्र को दिया उपहार फिर चाहे वो किसी भी राशि का क्यों ना हो सदैव कर-मुक्त होता है।

प्रश्न : मुझे आयकर विभाग से 4 जुलाई को एक संदेश आया की आपका रिफंड प्रोंसेस किया जा रहा है। उसके बाद दूसरा संदेश आया की आपके खाता का स्टेटस इनेबल होने के कारण आपके खाते में रिफंड जमा नहीं किया जा सका। हमने बैंक डिटेल, पेन, आधार व मोबाइल नंबर आदि सभी कुछ चेक किया और पाया की सब कुछ ठीक है। अब क्या संभावना बनती है। हमें अपना रिफंड कैसे प्राप्त हो सकता है?

उत्तर : अब आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपने खाता को लॉग-इन करें। आवेदन के समय आपसे बैंक की सारी जानकारी फिरसे मांगी जाएगी, उसे ठीक से भरें। ऐसा करने पर आपका रिंफड फिर से जारी हो जाएगा।

प्रश्न : मैंने अपना मकान राज्यपाल, उत्तर प्रदेश को काशी विश्वनाथ मंदिर में विश्वनाथ धाम बनाने हेतु बेचा है। यह विक्रय भूमि अधिग्रहण कानून के तहत नहीं है। इसकी रजिस्टरी के केवल एक रुपये के स्टाम्प पेपर पर हुई है। क्या मुझे इस पर लंबी अवधि का पूंजीगत लाभ देना होगा?

उत्तर : जी हाँ। आपको विक्रय पर लंबी अवधि का पूंजीगत लाभ देना होगा। हालांकि, इस आयकर से आप कर विभाग के नियमानुसार बच सकते हैं जैसे उस पैसे से अन्य आवासीय मकान का निर्धारित समयावधि में खरीदना या निर्माण कराना अथवा निर्धारित बांड में निवेश करना शमिल है। ऐसा करने से आपको कर नहीं देना होगा। (साभार : हिन्दुस्तान, 14.10.2019)

प्रश्न : मैं बैंक से अवकाश प्राप्त पेंशन भोगी वरिष्ठ नागरिक हूँ। वर्तमान में मैं अपनी खेती की देखभाल कर रहा हूँ। मेरी खेती का विभाजन नहीं हुआ है। इसलिए, अभी संयुक्त रूप से खेती की जा रही है। खेती के उत्पाद की बिक्री की रकम हमारे खाते में आती है। बिक्री से प्राप्त रकम को किस तरह से दिखाएँ? क्या यह आय कर मुक्त है?

उत्तर : खेती की आय आयकर की धारा 10 (1) के तहत कर मुक्त है। लेकिन, जब खेती के साथ अन्य आय हो तो फिर खेती की आय को अन्य आय के साथ जोड़ने पर अगर आपके आयकर स्लैब में बदलाव होता है तो फिर दोनों के अंतर पर आपको कर अदा करना होता है। उदाहरण के लिए बिना खेती की आय के अन्य आय 5 लाख रुपये है तो फिर 12,500 रुपये कर बनता है। इसके अतिरिक्त खेती से आय 1 लाख रुपये है तो आपका स्लेब 20% तक पहुँच जाता है। फिर दोनों के अंतर अर्थात (20-5)=15% की दर से खेती की आय पर 15 हजार रुपये का कर दायित्व बन जाता है। खेती की आय पूर्णतया कुरमुक्त तभी हो सकती है जब खेती के अलावा कोई अन्य आय नहीं है। खेती से आय के लिए आयकर फॉर्म में अलग से एक खंड होता है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 7.10.2019)**

PT.GPO/R-10/NP-15/2017-19 R. N. 4211/62

जीएसटी समस्याओं से रू-ब-रू होने के लिए माननीय उप-मुख्यमंत्री ने विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से व्यापारियों से किया संवाद

माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने दिनांक 19 नवम्बर 2019 को राज्य के वाणिज्य-कर अंचलों के व्यापारियों एवं कर-सलाहकारों से जी एस टी के मुददे पर विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से रू ब रू होकर उनकी समस्याएँ जानी एवं सुझाव भी लिए।

पटना के अंटाघाट स्थित वाणिज्य-कर विभाग के कार्यालय में विडियो कांफ्रेंसिंग में सम्मिलित राज्य-कर पदाधिकारियों के साथ चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, जीएसटी सब कमिटी के संयोजक श्री आलोक पोद्दार, कार्यकारिणी सदस्य सी.ए. राजेश खेतान, श्री सुनील सराफ एवं श्री आशीष अग्रवाल उपस्थित थे।

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
RAMCHANDRA PRASAD
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296